छत्तीसगढ़ शासन

वित्त, योजना, आर्थिक सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2010-11

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त, योजना, आर्थिक सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

प्रस्तावना

विभाग द्वारा वर्ष 2010–11 का प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है । इस प्रतिवेदन में वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के अंतर्गत आने वाले विभागाध्यक्ष कार्यालयों / निगम / आयोग की गतिविधियों एवं उनके द्वारा संचालित कार्यक्रमों की जानकारी संकलित की गई है ।

(अजय सिंह)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त, योजना, आर्थिक सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

1. विभाग का नाम : वित्त तथा योजना विभाग
2. प्रभारी मंत्री का नाम : डॉ. रमन सिंह

मंत्रालय में पदस्थ अधिकारीगण

प्रमुख सचिव	:	1. श्री अजय सिंह
सचिव	:	1. श्री आर. एस. विश्वकर्मा
संयुक्त सचिव	:	1. श्री सी. जे. खत्री (28.07.10से)
	:	2. श्री सतीश पाण्डेय
उप सचिव	:	1. श्री एस.के. चक्रवर्ती
	:	2. डॉ.अल्पना घोष
अवर सचिव	:	1. श्री चन्द्रशेखर ओंकार
	:	2. श्री राजभान सिंह (14.08.10से)
	:	3. श्री विक्रमराम भगत (16.08.10से)
	:	4. श्री के. सी. वर्मा
शोध अधिकारी	:	1. श्री प्रशांत लाल
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	:	1. श्री ऋषभ पाराशर

विभागाध्यक्ष के रूप में पदस्थ अधिकारीगण

1.	आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन	:	श्री अवध बिहारी
2.	आयुक्त, अल्प बचत एवं राज्य लाटरीज	:	श्री अवध बिहारी
3.	आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा	:	1 श्री अवध बिहारी (21.06.10तक) 2 श्री आर. सी. सिन्हा (03.01.11तक) 3 श्री बी. एस. अनंत (03.01.11से)
4.	आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी एवं 20सूत्रीय कार्यक्रम	:	1 श्री विजेयेन्द्र (10.05.10तक) 2 श्री आर.एस. विश्वकर्मा (01.01.11तक) 3 श्री पी. सी. मिश्रा (01.01.11से)
5.	संचालक, संस्थागत वित्त	:	श्री अमिताभ खंडेलवाल, प्रभारी संचालक
6.	संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	:	श्री सी. जे. खत्री (20.08.10से)
7.	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	:	श्री मुदित कुमार सिंह

मण्डल/आयोग में पदस्थ अध्यक्ष/उपाध्यक्ष

1.	छत्तीसगढ़ राज्य योजना मण्डल	:	1. अध्यक्ष– माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ उपाध्यक्ष– श्री शिवराज सिंह
2.	छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	:	अध्यक्ष– माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

विषय–सूची

क्र.	विभाग	संचालनालय/आयोग/मण्डल	पृष्ठ संख्या
1.	वित्त विभाग	1. संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन	पेज 01 से 08 तक
		2. संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा	पेज 09 से 26 तक
		3. संचालनालय, संस्थागत वित्त	पेज 27 से 32 तक
		4. संचालनालय, अल्प बचत एवं राज्य लाटरीज	पेज 33 से 33 तक
		5. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	पेज 34 से 35 तक
		6. छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	पेज 36 से 37 तक
2.	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	1. छ.ग.राज्य योजना मण्डल	पेज 38 से 47 तक
		2. संचालनालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी	पेज 48 से 59 तक
		3. 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	पेज 60 से 64 तक

संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर

भाग–एक

सामान्य जानकारी

01. कार्यालय का स्वीकृत सेटअप :–

मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सेटअप निम्नानुसार स्वीकृत किया गया है :–

क्र.	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद
01	आयुक्त/संचालक	भारतीय प्रशा. सेवा	01
02.	अपर संचालक	छ.ग. वित्त लेखा सेवा	02
03.	संयुक्त संचालक, प्रवर श्रेणी वेतनमान	छ.ग. वित्त लेखा सेवा	05
04	उप संचालक वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान	छ.ग. वित्त लेखा सेवा	10
05	सिस्टम एनालिस्ट	छ.ग. को. सू.प्रौ. सेवा	01
06	सहायक संचालक/कोषालय अधिकारी/ अति. कोषालय अधिकारी/प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला– कनिष्ठ वेतनमान		37
07	प्रोग्रामर	द्वितीय श्रेणी तकनीकी	04
08	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय श्रेणी	23
09	सहायक कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी/सहा. लेखाधिकारी /कनिष्ठ लेखाधिकारी	छ.ग. अधीनस्थ लेखा सेवा	122
10	शीघ्रलेखक ग्रेड–1, ग्रेड–2, ग्रेड–3	तृतीय श्रेणी	08
11	लेखा सहायक/उच्च श्रेणी लिपिक / निम्न श्रेणी लिपिक / डाटा एंट्री आपरेटर/वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	592
12	दफ्तरी/भृत्य/चौकीदार/वाटरमैन/स्वीपर	चतुर्थ श्रेणी	210
	योग		1015

02. अ. संचालनालय के अधीनस्थ कोषालयों द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों द्वारा किये गये लेन–देन का लेखा जोखा शीर्षवार संधारित करते हुये आय व्यय का मासिक लेखा संकलित किया जाता है । जिसका अनुश्रवण संचालनालय द्वारा किया जाता है ।

ब. शासकीय कार्यालयों द्वारा किये गये वित्त संव्यवहारों का अंकेक्षण एवं भण्डार का भौतिक सत्यापन भी समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर संचालनालय तथा अधीनस्थ संभागीय कार्यालयों द्वारा किया जाता है । प्रदेश के विभिन्न विभागों के कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन निर्धारण प्रकरण की जांच और सेवानिवृत्त कर्मचारियों/ अधिकारियों के पेंशन का प्राधिकार पत्र जारी करने का कार्य भी संभागीय कार्यालयों द्वारा किया जाता है ।

स. संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन के अधीन दो लेखा प्रशिक्षण शालायें कार्यरत है, जहां शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को लेखा कार्य एवं वित्तीय नियमों का प्रशिक्षण वर्ष में तीन सत्रों में दिया जाता है । वर्ष 2010–11 में दो सत्रों में 154 कर्मचारियों का प्रशिक्षण दिया गया है ।

द. छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों की समस्याओं पर विचार करके एवं उनके निराकरण के उपाय सुझाने हेतु पेंशनर कल्याण मण्डल का गठन किया गया है । राज्य में पेंशन कल्याण निधि की स्थापना की गई है । जिसका उद्देश्य सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की बीमारी की स्थिति में आंशिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना है । पेंशनर कल्याण कोष में वित्त वर्ष 2010–11 में ` 36,10,000 में से दिसम्बर 2010 तक पेंशनरों को वित्तीय सहायता के रूप में ` 3,96,060/– स्वीकृत किये गये है । पूर्व के व्यय 17,62,355 कुल 227 प्रकरणों में 21,58,415 पेंशनर कल्याण कोष में स्वीकृत की गई है ।

भाग–दो

बजट एक दृष्टि में

बजट प्रावधान एवं व्यय योजनावार
2049 ब्याज संख्या

(राशि ` में)

कं.	योजना का नाम	वर्ष 2010–11 हेतु प्रावधान	वर्ष 2010–11 में कुल व्यय	बचत
1	6802–अंशदायी पेंशन योजना पर ब्याज	10000000		10000000
2	4192–शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना (बीमा निधि पर ब्याज)	111362000	111175294	186706
3	4198–शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना (बचत निधि पर ब्याज)	356162000	349029596	7132404
4	4209–शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि पर ब्याज	69613000	66798544	2814456
	महायोग	547137000	527003434	20133566

टीपः– उपरोक्त योजना के अंतर्गत वर्ष में एक बार ब्याज की गणना की जाती है, गणना के अनुसार देय ब्याज का अंतरण वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व व्यय का अंतरण प्रस्ताव भेजा जाता है ।

मांग संख्या–06–2071 पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ

क्र.	योजना का नाम	प्रावधान वर्ष 2010–11	व्यय दिसम्बर 2010 तक
1.	117 परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रयोजन हेतु शासकीय अंशदान 6801 राज्य शासन का अंशदान	570000.00	308051.89
	योग– 2071	570000.00	308051.89

मांग संख्या 06–2054–राजकोष और लेखा प्रशासन

क्रं.	योजना का लाभ	प्रावधान वर्ष 2010–11	व्यय नवम्बर 2010
1.	2274–निर्देशन एवं प्रशासन	78601.00	25872.49
2.	4307–लेखा और राजकोष निदेशालय	33078.00	15121.04
3.	3843–प्रशिक्षण	3080.00	1566.32
4.	5697–कोषालय कम्प्यूटर प्रशिक्षण	210.00	–
5.	1026–खजाना स्थापना	160433.00	92055.55
	योग– 2054	13,24,17.00	267032.04
6.	2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	10.00	10.00
7.	4070–800–0000–1026–खजाना स्थापना	1.00	

भाग–तीन

संचालनालय, कोष लेखा के अंतर्गत संचालित समस्त योजना एवं स्थापना व्यय आयोजनेत्तर मद में स्वीकृत है । राज्य योजना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना मद में न ही कोई स्थापना व्यय है और न ही कोई योजना संचालित है, अतः इसकी जानकारी निरंक है ।

भाग–चार

सामान्य प्रशासनिक विषय– निरंक

भाग– पांच

अभिनव योजना

प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे व्यय पर नियंत्रण के लिये वित्त विभाग विभागाध्यक्षों एवं प्रदेश के समस्त कोषालयों को ई–कोष परियोजना के अंतर्गत कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ने के लिये राज्य शासन द्वारा प्रदत्त बजट से प्रदेश के 19 कोषालयों एंव 46 उप कोषालयों का नेटवर्क से जोडते हुए कम्प्यूटरीकरण किया जा चूका

है । तथा इसमें शासकीय कर्मचारियों को आई0डी0 नं0 देते हुए सेन्ट्रल सर्वर के एम्प्लाई डाटा बेस के साथ लिंक किया गया है । और शासकीय सेवक जिनका सामान्य भविष्य निधि राशि वेतन से कटौती की जाती है, के सही खाते में जमा सुनिश्चित करने के लिये खात नम्बरों की भी कम्प्युटरीकृत व्यवस्था है । जो महालेखाकार कार्यालय के कम्प्यूटर से प्रेषित जानकारी के अधार पर अपडेटेड है।

भाग–छ :

संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन छ0ग0 द्वारा सेवानिवृत्त हुए एवं होने वाले शासकीय सेवकों के हित के लिये सेवानिवृत्ति परिलाभों का यथासमय पर भुगतान के संबंध में मार्गदर्शिका कार्यालय प्रमुख क्या करे और क्या न करें तथा कर्मचारी क्या करे और क्या न करें । संबंधी पुस्तिका प्रकाशित कर कार्यालय प्रमुखों के बीच बाटा गया है।

भाग–सात

विभागीय ढांचा, अधीनस्थ एंव संलग्न कार्यालय, सामान्य जानकारी :–

संचालनालय, कोष लेखा एंव पेंशन की स्थापना छ0ग0 राज्य गठन दिनांक 01.11.2000 को हुई है इस विभाग के अंतर्गत सम्भागीय स्तर पर 04 संयुक्त संचालक, कोष लेखा एंव पेंशन (रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर एंव अम्बिकापुर) 19 जिला कोषालय एंव 46 बैंकिग उप कोषालय स्थापित है । राज्य में सभी कोषालय/उपकोषालय एंव संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन आयुक्त, कोष लेखा एंव पेंशन के प्रशासकीय नियंत्रण में है । संचालनालय एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों पर मुख्यतः निम्नानुसार गतिविधियां संचालित है :–

01. कोषालय स्तर पर कम्प्यूटरीकरण :–

राज्य शासन के वित्तीय प्रशासन को सुदृढ बनाने एंव आय–व्यय पर प्रभावी नियत्रंण रखने के उद्वेश्य से समस्त कोषालयों/उपकोषालयों का दिनांक 01.04.2005 से कम्प्यूटरीकरण किया जाकर सभी कोषालयों एंव उपकोषालयों को संचालनालय के मध्य व्ही–सेट के माध्यम से ऑनलाईन नेटर्वक स्थापित किया गया है इस प्रणाली को राज्य अघतन आय–व्यय की स्थिति ज्ञात करने की सुविधा उपलब्ध की गई है । छ0ग0 राज्य के कोषालयों में ''ई–कोष'' लागू कर सम्पूर्ण कोषालयों के कम्प्यूटीकरण का साफ्टवेयर एन0आई0सी0 द्वारा विकसित किया गया है । कोषालयों में डाटा प्रविष्टि के साथ अन्य कार्य जैसे की डिपाजिट ई–कर्मचारी, ई–पे रोल, ई–पेमेन्ट पंजी का कैशबुक संधारण पेंशनर का पी.पी.ओ. जारी करना एवं सूची तैयार करना बजट कन्ट्रोल इत्यादि का निर्वहन किया जा रहा है ।

साख पत्रों का कम्प्यूटरीकरण :–

निर्माण विभागों में बजट नियंत्रण सें संबंधित साख पत्र का कार्य भी संभागीय संयुक्त संचालकों द्वारा संपादित किया जा रहा है निर्माण कार्य विभाग जैसे लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग एंव लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग को साख पत्र मैनुअली जारी किया जाता था, ई–कोष के माध्यम से साख पत्रों का कम्प्यूटरीकरण किया गया जिसमें कम्प्यूटर के माध्यम से बजट व्यय तथा आवश्यक साख सीमा की प्रविष्टी की जाती है । इस व्यवस्था से उक्त विभागों में आबंटन से अधिक व्यय पर नियंत्रण रखा जाता है ।

ई–चालान की सुविधा :–

राज्य शासन द्वारा अक्टूबर, 2006 से छ0ग0 राज्य में वाणिज्यक कर विभाग में ई–चालान की सुविधा प्रांरभ की गई है एवं दिनांक 2009 से सभी विभाग के लिये लागू कर दिया गया है जिसके तहत इन्टरनेट बैकिंग का उपयोग करने वाला व्यक्ति घर बैठे ही चालान जमा कर सकता है । लेखांकन हेतु सिटी कोषालय रायपुर को अधिकृत किया गया है । चालान जमा करने के उपरांत जमाकर्ता को इलेक्ट्रानिक चालान प्राप्त हो जाता है यह सुविधा अभी स्टेट बैंक आफ इंडिया, यू0टी0आई0 बैंक में प्रदाय की जा रही है। भविष्य में इसे लेखांकन एवं स्क्रालिंग संबंधित कार्य कोषालयों से लिंक कर दिया जावेगा ।

ई – पेमेंट

भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के सहयोग से संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी/अधिकारी का वेतन भुगतान दिनांक 01नवम्बर 2010 से ई–पेमेंट के माध्यम द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया । इस सुविधा का विस्तार दिनांक 01.01.2011 से समस्त विभागों के लिए किया गया है ।

चालान जमा करने के लिये पृथक से बैंक की शाखाओं में शासकीय काउंटर खोला जाना :–

स्थानीय निवासियों की सुविधा की दृष्टि से भारतीय स्टेट बैंक की 09, देना बैक की 12, एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 01 शाखाओं में पृथक से शासकीय जमा काउंटर खोले गये है जो निम्नानुसार है :–

भारतीय स्टेट बैंकः–

नेवरा (रायपुर) डोगरगांव (राजनांदगांव), लोरमी (बिलासपुर), पाली (कोरबा), चांपा (जांजगीर), चिरमिरी (बैकुठपुर), गंडरिया (कवधा), कुनकुर (जशपुर), नवापारा (राजिम),

देना बैकः–

नगरी, कुरूद (धमतरी), अभनपुर, धरसीवा, खरोरा, नवापारा (रायपुर), बसना पिथौरा (महासमुंद) बेरला, गुडरदेही, पाटन, थानखम्हरिया (दुर्ग) ।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया– मुख्य शाखा रायपुर

राज्य के आय–व्यय लेखे का कम्प्यूटरीकरण :–

राज्य निर्माण के पूर्व राज्य के आय–व्यय के अद्यतन आंकडे मैन्युअली तैयार किये जाते थे । कोषालय कम्प्यूटरीकरण करने से ई–कोष के तहत समस्त राज्य के आय–व्यय के अद्यतन आंकडे विभागवार एंव शीर्षवार संचालनालय स्थित मुख्य सर्वर में उपलब्ध है । इससे विभिन्न विभागों की योजनाओं के आय–व्यय की समीक्षा एंव राज्य के वित्तीय प्रबंधन तथा इससे प्रत्येक विभाग के आय–व्यय की अद्यतन स्थिति इंटरनेट द्वारा एन.आई.सी. के वेब साइट के माध्यम से शासन को जानकारी उपलब्ध हो रही है ।

02. प्राप्ति एंव भुगतान लेखे का प्रेषण :–

राज्य के विभिन्न विभागों के आय एवं व्यय की राशि का लेखा संधारण कोषालयों/उपकोषालयों के स्तर पर किया जाता है, समस्त कोषालय अधिकारी मासिक लेखा प्रेषण लेखे की प्रथम सूची माह के 01 तारीख से 10 तारीख तक के समस्त लेन–देन सम्मिलित रहते है । उसी माह के 13 से 17 तारीख के मध्य एवं द्वितीय सूची जिसमें 11 तारीख से माह के अंतिम दिन तक के लेन–देन का समावेश होता है, अगले माह के 05 से 08 तारीख तक महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करते है ।

03. आंतरिक लेखा परीक्षणः–

राज्य के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में वित्तीय नियंत्रण रखने एंव शासन के नियमों के अनुसार किये जा रहे गतिविधियों पर सतत् निगरानी के लिये आंतरिक लेखा परीक्षण तथा विशेष लेखा परीक्षण संचालनालय एंव संभागीय सयुक्त संचालक, कोष लेखा एंव पेशंन द्वारा संपादित किया जाता है संचालनालय द्वारा वर्ष 2010–11 माह दिसम्बर 2010 तक छ0ग0 शासन वित्त विभाग के निर्देशानुसार छ0ग0 राज्य सहकारी विपणन संघ के खरीफ वर्ष 2008–09 की हानि प्रतिपूर्ति दावे का विशेष अंकेक्षण एवं इंदिरागांधी कृषि विश्वविद्यालय का विशेष लेखा परीक्षण किया गया ।

04. विभागीय निरीक्षणः–

विभागाध्यक्ष के अधीन 03 संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन कार्यालय, 10 जिला कोषालय, 01 लेखा प्रशिक्षण शाला तथा 10 उपकोषालयों के प्रभावी नियंत्रण हेतु वर्ष 2010–11 में माह दिसम्बर 2010 तक रोस्टर अनुसार विभागीय निरीक्षण संपन्न किये गये ।

05. पेंशन एवं वेतन निर्धारण का निराकरण :–

वर्ष 2010–11 में माह दिसम्बर 2010 की स्थिति में 5375 पेंशन प्रकरणों, 13575 पुनरीक्षित पेंशन प्रकरणों एंव 66194 वेतन निर्धारण वेतन प्रकरणों का निराकरण किया गया है । पेंशन से संबंधित जानकारी एंव सुविधा प्रदाय करने हेतु

cg.nic.in.pensioner portal website माह जुलाई 2007 से स्थापित किया जा चुका है । छ0ग0 शासन वित्त विभाग के निर्देश कं0 24/2007 के द्वारा 01.01.1996 के पूर्व के पेंशनरों एंव परिवार पेंशनरों के पेंशन/ परिवार पेंशन के पुनरीक्षण के निर्देश प्रसारित किये गये इसके तारतम्य में पेंशन पुनरीक्षण का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है । साथ ही प्राधिकृत नये पेंशन प्रकरणों में नियमित भुगतान प्रांरंभ होने के स्थिति के समीक्षा प्रत्येक माह किया जाता है ।

पेंशन प्रकरणों का निराकरण समय पर हो इसके लिये आगामी दो वर्ष में सेवा निवृत्त होने वाले समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वेतन निर्धारण की जांच अनिवार्य तौर पर कि गई है ताकि पेंशन प्रकरणों का निराकरण समय पर हो एवं अधिक भुगतान की स्थिति निर्मित होने पर उसकी वसूली भी सुनिश्चित किया जा सके ।

06. पेंशन कल्याण मंडल एवं पेंशन कल्याण कोष :–

राज्य के पेंशनरों की समस्याओं के निराकरण के लिये राज्य शासन को उपाय सुझाने के उद्धेश्य से मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन के अध्यक्षता में पेंशन कल्याण मंडल गठित है । मंडल में विभिन्न पेंशनर संघों के 05 प्रतिनिधि अशासकीय सदस्यों के रूप में नामांकित है ।

राज्य गठन के पश्चात् पेंशनरों एवं उसके परिवारों के सदस्यों को गंभीर बीमारी, दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये पेंशनर कल्याण कोष गठित है। कोष में उपलब्ध राशि ` 36,10,000 में से दिसम्बर 2010 तक पेंशनर को वित्तीय सहायता के रूप में 21,58,415 /– स्वीकृत किये गये है ।

07. जीवन बीमा योजनाः–

दिनांक 01.11.1974 से शासकीय सेवा परिवार कल्याण निधि योजना अनिवार्य रूप से प्रभावशील की गई है तत्पश्चात् म0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 01.07. 1985 से समूह बीमा योजना प्रभावशील करते हुए यह प्रावधान रखा गया है कि शासकीय सेवक परिवार कल्याण योजना 1974 के सदस्य अपना नकारात्मक विकल्प प्रस्तुत कर पूर्व अनुसार परिवार कल्याण निधि योजना के सदस्य बने रहकर योजना के अंतर्गत अनिवार्य रूप से अंशदान जमा कराते रहेगें । किन्तु ऐसा विकल्प प्रस्तुत ना करने पर वे स्वमेव समूह बीमा योजना 1985 के अनिवार्य सदस्य होंगें तथा अनिवार्य रूप से उनके वेतन समूह बीमा योजना 1985 के अतंर्गत कटौत्रा किया जावेगा ।

यह योजना संचालक, कोष लेखा एंव पेंशन के प्रशासकीय नियत्रंण अधीन है । तथा योजनाओं से संबंधित बिन्दुओं पर प्रशासित करना, योजनाओं के अभिलेखों का

निरीक्षण करना, योजना के अंतर्गत भुगतान राशि का परीक्षण करना, योजना से संबंधित आय–व्यय के आंकड़े संबंधी संचित अवशेष राशियों पर ब्याज संगणित करना, एवं शासन को प्रतिवेदन का कार्य सौपा गया है । इस विभाग द्वारा कई कार्यालय प्रमुखों द्वारा जारी किये गये परिवार कल्याण निधि तथा समूह बीमा योजना के अधीन स्वीकृति आदेश तथा पात्रता राशि का परीक्षण किया गया और त्रुटि पाये जाने पर संबंधितों को सुधार हेतु लेख किया गया साथ ही चाहे जाने पर उन्हें मार्गदर्शन भी दिया गया ।

उक्त योजना के अधीन सिर्फ मृत्यु /सेवानिवृत्ति पर ही बीमा राशि देय होती है । बीमे के दायरे को बढ़ाते हुए चोट अथवा बीमारी के लिये भी बीमा राशि देय हो इसके योजना में प्रावधान किये जाने की कार्यवाही जारी है ।

<u>08. अंशदायी पेंशन योजनाः–</u>

छ0ग0 शासन द्वारा 01.11.2004 से तथा उसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों हेतु अंशदायी पेंशन योजना प्रारंभ की गई है इस योजना से 31.12.2010 तक कुल 52185 अधिकारी/कर्मचारी शामिल है ।

अंशदायी पेंशन योजनातंर्गत केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेंसी (सी0आर0ए0) नेशनल सिक्युरिटी डिपाजिटरी लिमिटेड (एन0एस0डी0एल) के साथ राज्य शासन की ओर से दिनांक 19.09.2008 एंव एन0पी0एस0 ट्रस्ट के साथ दिनांक 20.02.2009 को अनुबंध निष्पादित किया गया है । योजनांतर्गत फंड मैनेजर के रूप में एस0बी0आई पेंशन फंड प्राईवेट लिमिटेड, यु0टी0आई0 रिटायरमेंट सोल्युशन लिमिटेड तथा एल0आइ0सी0 पेंशन फंड लिमिटेड को क्रमशः 40 प्रतिशत, 31 प्रतिशत, 29 प्रतिशत के अनुपात में पेंशन फंड के हिस्सेदारी के साथ पेंशन फंड विनियामक एंव विकास प्राधिकरण (पी0एफ0आर0डी0ए0) द्वारा नियोजित किया गया था । वर्तमान में फंड मैनेजर एल0आई0सी0 पेंशन फंड लिमिटेड, एस0बी0आई0 पेंशन फंड लिमिटेड और यु0टी0आई0 रिटायरमेंट सोल्युशन लिमिटेड के अनुपात में क्रमशः 35 प्रतिशत, 33 प्रतिशत, 32 प्रतिशत परिवर्तित किया गया है ।

योजनांतर्गत 01.04.2009 से अधिकारी/कर्मचारी को परमानेंट रिटायरमेंट एकाउन्ट नं0 (प्रान) केन्द्रीय अभिलेख संधारण ऐजेंसी (सी0आर0ए0) द्वारा आबंटित किया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2010–11 में 31 दिसम्बर 2010 तक ट्रस्टी बैंक ''बैंक आफ इंडिया'' को योजना की कुल राशि ` 82,59,29,018 /– (शब्दों में ) ` ब्यासी करोड़ उनसठ लाख उन्तीस हजार अठारह मात्र) कुल 52185 कर्मचारियों को स्थानांतरित किया जा चुका है ।

संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा

भाग – 1

1. सामान्य जानकारी :–

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के अंतर्गत स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य के विभिन्न निगमित एवं अनिगमित निकायों के एवं स्वायत्तशासी स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थाओं आदि के लेखाओं को अंकेक्षण विभाग द्वारा संपादित किया जाता है। विभाग द्वारा स्थानीय निकायों के नियम/अधिनियम एवं उपविधियाँ तथा क्रियान्वयन पर प्रकाश डाला जाता है । विभाग के प्रतिवेदन में निकाय के आर्थिक व्यवस्था तथा लेखाओं के संबंध में संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदन में सम्मिलित करते हुए अनियमितताओं के साथ आर्थिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण आपत्तियों का यथा संभव समावेश किया जाता है ।

शासन के पत्र क्रमांक/एफ–1–ए–1/2002/स्था/चार रायपुर, दिनांक 26.04.08 द्वारा नगरीय निकाय यथा नगर निगम, विश्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर विकास प्राधिकरण आदि में स्थापित आवासीय अंकेक्षण व्यवस्था स्थगित की गई है।

इस प्रतिवेदन में वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 (31 दिसबंर 2010 तक) की अवधि में, जिन स्थानीय निकायों के लेखाओं की पश्चातवर्ती संपरीक्षा संपादित की गई है, उनकी आर्थिक व्यवस्था एवं लेखाओं के विशिष्टताओं का सारांशीकृत विवरण दिया गया है। वित्तीय अनियमितताओं के साथ–साथ आर्थिक दृष्टि से अधिक महत्व की आपत्तियों का भी यथा संभव उल्लेख संबंधित संस्थाओं/ निकायों के वर्ष विशेष के संपरीक्षा प्रतिवेदन में किया गया है। अनियमितताओं के संबंध में समय–समय पर विशेषतः निकायों की संपरीक्षा के समय ही, निकाय के प्रमुख अधिकारियों के साथ विचार विमर्श पश्चात विगत तथा वर्तमान संपरीक्षा प्रतिवेदनों में उत्थापित आपत्तियों के निराकरण तथा लेखा प्रणाली में आवश्यक सुधार लाने हेतु विशेष प्रयास किये जाते हैं ।

2. विभाग का प्रशासकीय ढांचा –

छत्तीसगढ़ राज्य में संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, कोरबा एवं कोरिया में स्थापित हैं । संचालनालय एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के लिये कुल 356 पदों का सृजन किया गया है । संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में निम्नानुसार पद आबंटित किया गया है :–

क्र	कार्यालय	कुल पद संख्या
1	संचालनालय, रायपुर	43
2	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	75
3	क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	55
4	क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	42
5	क्षेत्रीय कार्यालय, राजनांदगांव	67
6	क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा	38
7	क्षेत्रीय कार्यालय, कोरिया	36
कुल पद संख्या		356

संचालनालय एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में दिनांक 31.12.2010 की स्थिति में कार्यरत स्टाफ की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	टीप
1	संचालक	01	01	0	
2	अतिरिक्त संचालक	01	0	01	
3	संयुक्त संचालक	02	01	01	
4	उप संचालक	07	05	02	
5	सहायक संचालक	24	18	06	
6	ज्येष्ठ संपरीक्षक	78	61	17	01 प्रतिनियुक्ति से कार्यरत हैं एवं 16 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
7	असिस्टेंट प्रोग्रामर	01	0	01	..
8	अधीक्षक	01	01	0	..
9	मुख्य लिपिक	02	02	0	..
10	सहायक अधीक्षक	01	01	0	..
11	सहायक ग्रेड 1	01	01	0	छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत
12	स्टेनोग्राफर	01	0	01	..
13	सहायक संपरीक्षक	155	102	53	
14	लेखापाल	01	01	0	..
15	सहायक ग्रेड 2	13	11	02	..
16	डाटा एंट्री ऑपरेटर	07	02	05	..
17	सहायक ग्रेड 3	21	16	05	08 पदों पर सी.आई.डी.सी. से कर्मचारी प्रतिनियुक्ति

					पर कार्यरत है ।
18	स्टेनो टायपिस्ट	05	0	05	..
19	वाहन चालक	01.04	01.04	0	1. 04 पद संविदा पर कार्यरत है।
20	भृत्य	22	18	04	..
21	चौकीदार (अस्थाई)	07	07	0	01 चौकीदार म.प्र. के समय से कार्यभारित आकस्मिकता एवं 06 चौकीदार आकस्मिकता (कलेक्टर दर) पर कार्यरत
योग		356	259	97	..

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 के तहत कुल 10542 संस्थाओं के लेखाओं की संपरीक्षा विभाग द्वारा संपन्न की जाती है जिनमें राज्य की 9820 ग्राम पंचायत भी सम्मिलित हैं। शासन द्वारा समय-समय पर शासनहित में अधिकारों के विकेन्द्रीकरण के दृष्टिकोण से नवीन नगर पंचायतों का गठन एवं नवीन ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है जिससे ग्राम पंचायतों की संख्या में कमी/वृद्धि संभावित होने से निकायों की संख्या में वृद्धि संभावित है। विभाग के रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, कोरिया एवं कोरबा में स्थापित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से राज्य के समस्त निगमित एवं अनिगमित निकायों की संपरीक्षा की जाती है।

3. जनकार्य दिवस की स्थिति :-

अ वित्तीय वर्ष2009-10 की जनकार्य दिवसों की स्थिति निम्नानुसार थी :-

1/4/09 को अवशेष	2009-10 की मांग	कुल मांग	वर्ष 2009-10 में संपादित कार्य	31/03/2010 को अवशेष
203479	62484	265963	36557	229406

ब वित्तीय वर्ष 2010-11 में जनकार्य दिवसों की स्थिति निम्नानुसार थी :-

1/4/2010 को अवशेष	2010-11 की मांग	कुल मांग	वर्ष 2010-11 में संपादित कार्य (31.12.2010 तक)	31/12/2010 को अवशेष
229406	72403	301809	19910	281899

टीपः- नगरीय निकाय यथा नगर निगम/विश्वविद्यालय/माध्यमिक शिक्षा मण्डल/ रायपुर विकास प्राधिकरण आदि में स्थापित आवासीय अंकेक्षण स्थगित करने के कारण इन निकायों के लिए निर्धारित मानव दिवस में दो गुनी वृद्धि दृष्टिगत है तथा भविष्य में लंबित अंकेक्षण मानव दिवस की उत्तरोत्तर वृद्धि संभावित है।

4. संपरीक्षा शुल्क :–

अ. 2009–10 से संपरीक्षा शुल्क जमा एवं शेष की स्थिति निम्नानुसार थी :–

		आंकड़े करोड़ में (राशि `)
1	अप्रैल 08 को प्रारंभिक शेष	12.44
2	1/4/2009 से 31/3/2010 तक मांग	02.00
3	कुल मांग मार्च 2010 तक	14.44
4	कुल वसूली मार्च 2010 तक	0.58
5	दिनांक 31.3.2010 को अवशेष	13.86

ब. 2010–11 से संपरीक्षा शुल्क जमा एवं शेष की स्थिति निम्नानुसार थी :–

		आंकड़े करोड़ में (राशि `)
1	1/4/2010 को प्रारंभिक शेष	14.11
2	वर्ष 2010–11 की मांग माह दिसंबर 2010 की स्थिति में	01.23
3	कुल मांग दिसंबर 2010 की स्थिति में	15.35
4	कुल वसूली दिसंबर 2010 की स्थिति में	0.37
5	दिनांक 31.12.2010 को अवशेष	14.97

टीपः– क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अंकेक्षण शुल्क में संशोधन के कारण दिनांक 01.04. 2010 के प्रारंभिक अवशेष में अधिक तथा राज्य शासन द्वारा नगरीय निकाय यथा नगर निगम, विश्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर विकास प्राधिकरण आदि में स्थापित आवासीय अंकेक्षण व्यवस्था स्थगित करने के कारण इन निकायों से संपरीक्षा शुल्क वसूली संतोषप्रद नहीं होने से अवशेष राशि अधिक दृष्टिगत है।

5. संपरीक्षा प्रतिवेदन :–

वर्ष 2009–10 में विभिन्न संस्थाओं/निकायों की ओर संपरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रसारण की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :–

अ वित्तीय वर्ष 2009–10 में प्रसारित संपरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति निम्नानुसार थी :–

1/4/09 को प्रसारण हेतु लंबित प्रति	2009–10 में प्राप्त प्रतिवेदन	कुल प्रतिवेदन	वर्ष 2009–10 में प्रसारित प्रतिवेदन	31/03/2010 को अवशेष
213	1023	1236	976	260

ब वित्तीय वर्ष 2010–11 (दिनांक 31 दिसम्बर 2010 तक) में प्रतिवेदन प्रसारण की स्थिति निम्नानुसार है :–

1/4/2010 को अवशेष	2010–11 (माह दिसंबर 2010) प्राप्त प्रतिवेदन	कुल प्रतिवेदन	वर्ष 2010–11 में (माह दिसंबर 2009) प्रसारित प्रतिवेदन	31/12/2011 को अवशेष
260	456	716	606	110

6. निराकृत आपत्तियां :–

वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं माह दिसम्बर 2010 की स्थिति में विभिन्न स्थानीय निकायों की ओर लंबित एवं निराकृत आपत्तियों की जानकारी एवं सन्निहित राशि की जानकारी निम्नानुसार थी :–

अ वित्तीय वर्ष 2009–10 की स्थिति में :–

अर्थ वर्ष	प्रारंभिक लंबित आडिट आपत्ति संख्या	वर्ष के दौरान लिये गये आडिट आपत्ति संख्या	कुल अवशेष आडिट आपत्ति संख्या	निराकृत आडिट आपत्ति संख्या	अवशेष आडिट आपत्ति संख्या
2009–10	177260	15770	193030	854	192176

ब वित्तीय वर्ष 2010–11 की स्थिति में :–

अर्थ वर्ष	प्रारंभिक लंबित आडिट आपत्ति संख्या	वर्ष के दौरान लिये गये आडिट आपत्ति संख्या	कुल अवशेष आडिट आपत्ति संख्या	निराकृत आडिट आपत्ति संख्या	अवशेष आडिट आपत्ति संख्या	सन्निहित राशि
2010–11	192176	10870	203046	1204	201842	13359454727

टीपः– राज्य शासन द्वारा नगरीय निकाय यथा नगर निगम, विश्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर विकास प्राधिकरण आदि में स्थापित आवासीय अंकेक्षण व्यवस्था स्थगित करने के कारण इन निकायों से आपत्ति निराकरण संतोषप्रद नहीं होने से अवशेष आपत्ति अधिक दृष्टिगत है।

7. स्थानीय निकायों के आय–व्यय –

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में जिन निकायों की संपरीक्षा की गई उनके आय–व्यय के आंकड़े निम्नानुसार रहे :–

अ वित्तीय वर्ष 2009–10 की स्थिति में :–

आय – 37668772426.00

व्यय – 33423703497.00

ब. वित्तीय वर्ष 2010-11 (दिसंबर 2010) की स्थिति में

आय - 29480037956.00

व्यय - 18453553826.00

अंकेक्षण के समय एवं प्रतिवेदनों में लगातार आपत्ति लिये जाने के बाद भी अधिकांश स्थानीय संस्थाओं में यथा समय आय-व्यय पत्रक तैयार करने एवं सक्षम स्वीकृति तथा अनुमोदन प्राप्त करने के प्रति अपेक्षित अभिरूचि का अभाव दृष्टिगत हुआ। साथ ही संतुलित बजट तैयार नहीं किये जाने की प्रवृत्ति यथावत बनी हुई है। बजट प्रावधानों से अधिक व्यय सामान्यतः पाया गया। बजट पुनर्विनियोजन करके नियमित करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं किया जाना परिलक्षित हुआ ।

8. प्रभक्षण :-

लेखा नियमों में अवहेलना तथा स्थानीय निधि के उचित समय में शिथिलता के कारण प्रतिवेदनाधीन अवधि में प्रभक्षण की स्थिति निम्नानुसार थी :-

दिनांक 31.12.2010 तक प्रकरणों की संख्या	31.12.2010 को वसूली हेतु अवशेष राशि
1785	05,09,34,083.00

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष में प्रभक्षण से संबंधित प्रमुख आपत्तियों का उदाहरण निम्नानुसार है :-

क्रं.	निकाय का नाम	वर्ष	विवरण	राशि
1	जनपद पंचायत मनोरा जिला जशपुर	2005-06 से 07-08	कंडिका क्रमांक 11- अंशदायी भविष्य निधि की राशि संबंधित कर्मचारी के खाते में जमा दर्शित कर जमा के समर्थन में अभिलेख उपलब्ध न कराना	15560.00
2	जनपद पंचायत बगीचा जिला जशपुर	2005-06 से 09-10	कंडिका क्रमांक 14- ग्राम पंचायतों से वसूल की गई राशि जनपद निधि में जमा न किया जाना।	456060.00
3	ग्राप पंचायत ढोढीडांड जनपद पंचायत कुनकुरी जिला जशपुर	2003-04 से 06-07	कंडिका क्रमांक 12- रोकड़ बही में राशि कम दर्ज कर प्रभक्षण	134625.00
4	ग्राम पंचायत रोबा, जनपद पंचायत फिंगेश्वर, जिला रायपुर	2003-04 से 2009-10	कंडिका क्रमांक 09, 10- वसूली की राशि जमा नहीं किया जाना	40750.00

5	नगर पंचायत अंतागढ़	2008–09 से 2009–10	कंडिका कमांक 7,9,10– रसीद पुस्तकों का दुरूपयोजन कर संभावित प्रभक्षण	594101.00
6	ग्राम पंचायत बोरगांव,	2003–04 से 2009–10	कंडिका कमांक 06– आहरित राशि कैश बुक में प्रविष्टि का अभाव	34875.00
7	ग्राम पंचायत नंदेली जनपद पंचायत पामगढ़	2008–09	प्रमाणक के अभाव में संभावित प्रभक्षण	251000.00
8	नगर पंचायत गुण्डरदेही जिला दुर्ग	2005–06 से 2008–09	कडिका .कं. 06,07– वसूली राशि जमा न कर संभावित प्रभक्षण	103038.00
9	जनपद पंचायत बगीचा	2005–06 से 2009–10	कंडिका कमांक 14 से 18 वास्तविक योग से अधिक अंकित कर प्रभक्षण किया गया है। तथा प्राप्त राशि निधि में जमा नहीं किया गया।	607171.00
10	जनपद पंचायत पत्थलगांव	2003 से 2008–09	कंडिका कमांक 10 (1, 2) जीवन धारा योजना की राशि नगद आहरण कर जमा न कर राशि का प्रभक्षण।	45000.00
11	जनपद पंचायत फरसगांव	2004–05 से 2009–10	कंडिका कमांक 8 से 10 संग्रहित राशि निधि में जमा न कर संभावित प्रभक्षण।	57362.00
12	ग्राम पंचायत जोता जनपद पंचायत पथरिया	2003–04 से 08–09	कंडिका कमांक 12 बर्हिगामी सरपंच द्वारा प्रभार पर नगद राशि नहीं दिया जाना ।	129179.00
13	ग्राम पंचायत पामगढ़	2003–04 से 09–10	कंडिका कमांक 12, 13 एवं 22 आम बाजार नीलामी, मकान किराया, तालाब लीज एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि का कोष में जमा नहीं किया।	176155.00
14	ग्राम पंचायत मुढपार(ब) जनपद पंचायत पामगढ़	2008–09	कंडिका कमांक 06,07 एवं 08, 09 पेंशन की राशि को आय पक्ष में दर्ज नहीं किया जाना, आहरित राशि की प्रविष्टि नहीं किया जाना, ब्यय की राशि रोकड़ बही में अधिक दर्ज किया जाना एवं कैश बुक में त्रुटिपूर्ण गणना किया जाकर प्रभक्षण।	18300.00
15	ग्राम पंचायत कसियाडीह जनपद पंचायत पाली	2005–06 से 2007–08	कंडिका कमांक 4 एवं 5 बैंक से आहरित राशि को कैश बुक आय पक्ष में जमा नहीं किया जाना एवं पुराने सचिव द्वारा प्रभार में राशि नहीं सौपी गई।	1389165.00

क्रं.	निकाय का नाम	वर्ष	विवरण	राशि
16	ग्राम पंचायत बेगची जनपद पंचायत बरमकेला	2003–04 से 2007–08	कंडिका क्रमांक 7 विभिन्न मद की राशि भूतपूर्व सरपंच द्वारा प्रभार में न सौपा जाना।	146808.00
17	ग्राम पंचायत उपका जनपद पंचायत कोटा	2003–04 से 2008–09	कंडिका 8 से 11 राशि आहरण कर कैश बुक में प्रविष्टि नहीं किया जाना एवं योग त्रुटि किया जाकर प्रभक्षण।	730990.00
18	ग्राम पंचायत खोखरा जनपद पंचायत पुसौर	2005–06 से 2008–09	कंडिका क्रमांक 5 श्री शंकर लाल उरांव भूतपूर्व सरपंच द्वारा प्रभार में राशि नहीं सौपी गई।	72157.00
19	ग्राम पंचायत डोंगरीपाली	2004–05 से 2008–09	कंडिका क्रमांक 6 विभिन्न पदों की राशि प्रभार में नहीं सौंपी जाकर प्रभक्षण।	46238.00
20	ग्राम पंचायत सेंदरीमुडा	2003–04 से 2007–08	कंडिका क्रमांक 5 भूतपूर्व सरपंच द्वारा प्रभार में राशि नहीं सौपी गई।	41824.00
21	ग्राम पंचायत करमीटिकरा जनपद पंचायत पत्थलगांव	2005–06 से 2008–09	कंडिका क्रमांक 7 (अ, ब) नगद शिल्क को लोप किया जाकर एवं कैश बुक में जमा की गलत प्रविष्टि किया जाकर।	66059.00
22	ग्राम पंचायत बटुराबहार जनपद पंचायत पत्थलगांव	2003–04 से 08–09	कंडिका क्रमांक 7 आय एवं व्यय राशि की त्रुटिपूर्ण योग किया जाकर प्रभक्षण।	46625.00
23	नगर पंचायत नवागढ़	2008–09	नगर पंचायत निधि से दुर्विनियोग	339073.00

9. अधिभार :–

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत, ऐसी हानियों के प्रकरण जो किसी अधिकारी/कर्मचारियों की अपने कर्तव्यों के प्रति घोर अवहेलना, कदाचरण अथवा तत्परता से कर्तव्यों का पालन न करने या कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने के कारण अवैधानिक व्यय हुआ हो, ऐसे प्रकरणों में अधिभार कार्यवाही संस्थित की जाती है। ऐसे अधिभार प्रकरणों में विभाग द्वारा कार्यवाही की स्थिति निम्नानुसार है :–

अ. वित्तीय वर्ष 2009–10 की स्थिति में :–

क	प्रकरण का विवरण	संख्या	सन्निहित राशि `	निराकृत संख्या	अवशेष संख्या	अवशेष राशि `
1	अधिभार आरोप पत्र	41	58,36,686.00	..	41	58,36,686.00
2	अधिभार सूचना	09	05,12,288.00	..	09	05,12,288.00
3	अधिभार आदेश	24	08,28,738.00	..	24	08,28,738.00
4	मांग प्रमाण पत्र	41	09,62,726.00	..	41	09,62,726.00

ब. वित्तीय वर्ष 2010–11 (दिनांक 01.04.09 से 31.12.2010) की स्थिति में :–

क	प्रकरण का विवरण	संख्या	सन्निहित राशि `	निराकृत संख्या	अवशेष संख्या	अवशेष राशि `
1	अधिभार आरोप पत्र	01	63,500.00	..	01	63,500.00
2	अधिभार सूचना	01	33,600.00	..	01	33,600.00
3	अधिभार आदेश	..	..	..	..	..
4	मांग प्रमाण पत्र	..	..	..	..	..

महत्वपूर्ण अनियमितताओं की जानकारी :–

संपरीक्षा के दौरान प्रकाश में आयी कुछ महत्वपूर्ण अनियमितताओं की जानकारी निम्नानुसार है :–

10. क्षति/हानि संबंधी अनियमिततायें :–

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा के दौरान प्रकाश में आयी क्षति/ हानि संबंधी अनियमिताओं की जानकारी निम्नानुसार है :–

क	निकाय का नाम	वर्ष	अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका क्रमांक	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि
1.	नगर पंचायत लवन	2008–09	09	मुख्य मंत्री स्वालंबन योजना की दुकान एवं चबुतरा का आबंटन नहीं किए जाने से आर्थिक क्षति	180400.00
2.	कृ.उ.मं.स. राजिम	2007–08 से	13	मंडी शुल्क से आय की क्षति	195195.00

		2009–10			
3.	जनपद पंचायत अंतागढ़	2002–03 से 2008–09	07	अध्यक्ष वन धन समिति से वापसी योग्य राशि	121500.00
4.	जनपद पंचायत फरसगांव	2004–05 से 2009–10	22	हितग्राहियों से अंशदान की वसूली अपेक्षित	209600.00
5.	जनपद पंचायत बगीचा जिला जशपुर	2002–03 से 2004–05	14	गैस एंजेसी रायगढ़ को भुगतान गैर कनेक्शन की प्राप्ति हितग्राहियों को वितरण व पावती का अभाव	247500.00
6.	ग्राम पंचायत चिखली जनपद पंचायत पुसौर	2006–07 से 2008–09	08	बाजार ठेका का अनुबंध निर्धारित स्टांप शुल्क पर न कराए जाने से आर्थिक क्षति	187838.00
7	जनपद पंचायत धमधा	2008–09 से 2009–10	–	किसान महोत्सव 2009 आयोजन में राशि की प्रतिपूर्ति अपेक्षित	103000.00
8	रोगी कल्याण जीवन दीप समिति कोरबा	1996–97 से 2009–10	12	सावधि जमा संयुक्त नाम से जमा किया गया था परिपक्वता अवधि व्यक्तिगत नाम से खाता होने के कारण भुनाया नहीं जा सका जिससे निकाय को मिलने वाले ब्याज की राशि क्षति योग्य	700000.00

11. अनावश्यक एवं अनियमित व्यय :–

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा के दौरान प्रकाश में आयी अनावश्यक एवं अनियमित व्यय संबंधी आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र	निकाय का नाम	वर्ष	अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका क्रमांक	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि
1.	जनपद पंचायत मगरलोड	2002–03 से 07–08	27	अभिनंदन विज्ञापन प्रकाशन पर अनियमित व्यय	267900.00
2.	नगर पंचायत लवन	2008–09	20	गिरौधपुरी मेला व अभिनंदन विज्ञापन, टेंट हाउस प्रकाशन पर	173481.00

				व्यय	
3.	जनपद पंचायत खरसिया जिला रायगढ़	2007–08 से 2008–09	19	वाहन किराया का अनियमित भुगतान	158503.00
4.	नगर पंचायत डौंडी लोहारा	2003–04 से 08–09	–	वाहन यात्रा का अनियमित भुगतान	248391.00
5.	नगर पंचायत फरसगांव	2008–09 से 2009–10	17, 18, 19	विज्ञापन, समारोह, शपथ ग्रहण, सम्मेलन पर अनियमित व्यय	335123.00
6.	जनपद पंचायत गीदम	2004–05 से 2008–09	4, 5	नोडल खाते से सीधे व्यय भुगतान तथा सर्वशिक्षा अभियान की राशि अन्य मद में व्यय	7325441.00
7.	नगर पंचायत बस्तर	2009–10	10	चुनाव कार्य पर किए गए व्यय पर प्रतिपूर्ति वांछित	164392.00
8.	जनपद पंचायत पेंड्रा	2002–03 से 2008–09	–	हार्दिक अभिनंदन पर अनियमित व्यय	156320.00
9.	जनपद पंचायत गौरेला	2008–09	–	वाहन किराए पर व्यय	314912.00
10.	नगर पालिका मनेंद्रगढ़	2006–07 से 2008–09	–	पल्स पोलियो अभियान/योग शिविर/जीप किराया/खेल/फर्नीचर में अनियमित व्यय	210089.00

12. स्थापना संबंधी :–

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शित स्थापना संबंधी अनियमिताओं की जानकारी निम्नानुसार है :–

क	निकाय का नाम	वर्ष	अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका क्रमांक	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि
1.	कृ.उ.मं. समिति भोपालपटनम	95–96 से 08–09	11	स्थानान्तरण यात्रा देयक का अनियमित भुगतान	25048.00
2.	नगर पंचायत भखारा	05.09.08 से 09–10	10	पद स्वीकृति के बिना पारिश्रमिक भुगतान अनियमित	887415.00
3.	कृ.उ.मं.	2008–09	22, 23	दैनिक वेतनभोगी	706631.00

	समिति अभनपुर	से 09–10		नियमितिकरण / अनुकंपा नियुक्ति अनियमित भुगतान	
4.	कृ.उ.मं. समिति बगीचा	2002–03 से 2006–07	12	निर्धारित सीमा से अधिक स्थापना व्यय	964752.00
5.	जनपद पंचायत छुईखदान	2008–09 से 09–10	–	श्री अनिल सिंह आयुर्वेदिक बैद्य की अनियमित नियुक्ति होने से वेतन भुगतान वसूली योग्य	214847.00
6.	पशुचिकित्सा एवं पशुपालन अंजोरा	2008–09	–	कैरियर एडवांस स्कीम के तहत स्वीकृत वेतनमान का अनियमित भुगतान	11208197.00
7.	जनपद पंचायत खैरागढ़	2005–06 से 2009–10	–	श्री ए.के. गुप्ता सेवा निवृत्त लेखापाल को उपादान की राशि का अनियमित भुगतान	350195.00

13. निर्माण कार्य संबंधी अनियमिततायें :–

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा के दौरान प्रकाश में आयी निर्माण कार्य संबंधी अनियमिताओं की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र	निकाय का नाम	वर्ष	अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका क्र.	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि
1.	नगर पंचायत लवन	2008–09	30, 31	बाजार चौक से खरतोरा मार्ग तक सीसी रोड निर्माण में दोहरा भुगतान / गणना त्रुटि से अधिक भुगतान	344827.00
			39	उन्मुक्त खेल मैदान में अक्षेपित अधिक भुगतान	828869.00
2.	नगर पालिका परिषद अकलतरा	2008–09	–	लोक निर्माण कार्यो पर अनियमित व्यय	13891684.00
3.	नगर पालिका परिषद सक्ती	2008–09	–	सीसी रोड निर्माण कार्य में अनियमितता राशि वसूली योग्य	1398304.00
			–	निर्माण कार्य में अनियमित व्यय	20311157.00
4.	नगर पालिका परिषद	2009–10	16	लोहे का दर अधिक दिए जाने से आर्थिक क्षति	3944420.00

	किरंदुल				
5.	नगर पंचायत शिवपुर चरचा	2006–07 से 2009–10	–	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना सीसी रोड निर्माण में अनियमित भुगतान	1641792.00
6.	कृ.उ.मं. समिति कोरबा	1999 से 2008–09	–	पूर्णता प्रमाण पत्र के बिना अंतिम देयकों का अनियमित भुगतान	9108803.00
7.	नगर पंचायत देवकर	2003–04 से 2009–10	–	स्वीकृत प्राक्कलन एवं नक्शा के अनुसार निमार्ण न होने से अपूर्ण कार्य पर अनियमित ब्यय	1001620.00
8.	जनपद पंचायत धमधा	2008–09 से 2009–10	–	गली सीमेंटीकरण में मानक प्राक्कलन आईटम राशि से अधिक भुगतान वसूली योग्य	369100.00
9.	नगर पंचायत अहिवारा	2006–07	–	सक्षम स्वीकृति/ अनुमान/ तकनीकी स्वीकृति के अभाव में निमार्ण कार्य में अनियमित भुगतान	2235391.00
10.	कृ.उ.मं. समिति राजिम	2007–08 से 2009–10	21	निमार्ण कार्य देयकों में गणना त्रुटि से अधिक भुगतान	40379.00

14. कर, शुल्क/अन्य राशि की वसूली अपेक्षितः–

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा प्रतिवेदन में निकायों द्वारा कर, शुल्क/अन्य राशि की वसूली तत्परतापूर्वक यथासमय नहीं किये जाने से कर, शुल्क/अन्य राशि की वसूली भारी मात्रा में बकाया है । विवरण निम्नानुसार है :–

क्र	निकाय का नाम	वर्ष	अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका क्र.	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि
1	कृ.उ.मं.समिति बागबाहरा	2008–09 से 2009–10	06	मण्डी शुल्क बकाया	19216268.00
2.	कृ.उ.मं.समिति राजिम	2007–08 से 2009–10	12	मण्डी शुल्क बकाया	23852898.00
3.	कृषि	2008–09	05	कृषि उपकरण उधारी	2998680.00

	अभियांत्रिकी ईगाकृविवि. रायपुर			विक्रय वसूली बकाया	
4.	नगर पंचायत गीदम	2009–10	04 से 07	सपंत्तिकर/दुकार किराया/जलकर/अनुज्ञप्ति शुल्क की बकाया राशि	395464.00
5.	जनपद पंचायत लोहाण्डीगुडा	2002–03 से 2009–10	04	नावधान नीलामी की राशि बकाया	235600.00
6.	कृ.उ.मं.समिति जगदलपुर	2009–10	05 से 07	मण्डीशुल्क/अनुज्ञप्ति शुल्क/ गोदाम किराया बकाया राशि	15659885.00
7.	नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़	2003–07 से 2008–09	–	संपत्तिकर/समेकित कर/ जलकर/ दुकान किराया	9026211.00
8.	नगर पंचायत कोटा	2008–09	–	करों की बकाया वसूली अपेक्षित	1648613.00
9.	कृ.उ.मं.समिति डोंगरगाव	2001–02 से 2009–10	–	मण्डी फीस बकाया वसूली अपेक्षित	8845845.00
10.	नगर पंचायत छुईखदान	2008–09 से 2009–10	–	दुकान नीलामी की वसूली अपेक्षित	5998960.00

15. दायित्व निर्वहन में शिथिलता :–

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा के दौरान प्रकाश में आया कि स्थानीय निकायों द्वारा दायित्व निर्वहन में शिथिलता बरती जा रही है। जिससे निकायों के दायित्व में सतत् वृद्धि होती जा रही है। दायित्व निर्वहन में शिथिलता से संबंधित उदाहरण निम्नानुसार है :–

क	निकाय का नाम	वर्ष	अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका क.	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि
1	नगर पंचायत लवन	2008–09	42	आयकर/ वाणिज्यकर जमा का अभाव	566785.00
2.	नगर पंचायत आमदी	09.10.08 से 2009–10	06	आयकर/ वाणिज्यकर जमा का अभाव	148578.00
3.	नगर पंचायत गीदम	2009–10	20, 21	आयकर/ वाणिज्यकर जमा का अभाव	542844.00

4.	नगर पंचायत दंतेवाड़ा	2009-10	13, 15, 18 से 21	आयकर/ वाणिज्यकर/ रायल्टी/लेबर उपकर जमा का अभाव	1355164.00
5.	कृ.उ.मं.समिति भोपालपटनम्	95-96 से 08-09	18	विकास शुल्क जमा हेतु अवशेष	1197338.00
6.	कृ.उ.मं.समिति बीजापुर	95-96 से 08-09	04	विकास शुल्क जमा हेतु अवशेष	2037384.00
7.	नगर पंचायत डौंडी लोहारा	03-04 से 08-09	-	अनुदान आबंटन से अधिक व्यय	6235505.00

16. ग्राम पंचायतों के संबंध में विशेष :-

स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों का अंकेक्षण प्रारंभ किये जाने के बाद प्रायः प्रतिवेदनों में आपत्तियां दृष्टिगत हुई कि भूतपूर्व सरपंच/ पदाधिकारियों द्वारा नगद राशि अनियमित रूप से रखा जाना तथा वर्तमान सरपंच द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1993 के नियम 18 अनुसार नगद सिलक की निर्धारित सीमा ` 2,500.00 से अधिक रखा जाना पाया गया है । विभाग द्वारा वर्तमान तक 5152 ग्राम पंचायतों का अंकेक्षण संपादित किया गया जिनमें से अर्थवर्ष 2010-11 तक 299 ग्राम पंचायतों के भूतपूर्व/वर्तमान पदाधिकारियों द्वारा अनियमित रूप से राशि ` 6,01,94,370.00 स्वयं के पास रखा जाना पाया गया इस प्रकार ं प्रभार हस्तांतरण में नगद राशि हस्तांतरित नहीं किये जाने एवं निर्धारित सीमा से अधिक नगद रखे जाने से दुर्विनियोजन की प्रबल संभावना होती है। इसमें पदाधिकारियों के नाम से विभिन्न कार्यो के संपादन हेतु लंबे समय से रखे गये अग्रिम की धनराशि भी सम्मिलित है। अन्य महत्वपूर्ण अनियमितताओं की जानकारी निम्नानुसार है :-

क	निकाय का नाम	वर्ष	अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका क्र.	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि
1	ग्राम पंचायत सेमरा जनपद पंचायत नगरी	03-04 से 07-08	06	करों की बकाया मांग	195745.00
2	ग्राम पंचायत उलबा जनपद पंचायत अभनपुर	2005-06 से 08-09	06	तालाब लीज बकाया	77080.00
3	ग्राम पंचायत	03-04 से	04	अभिनंदन विज्ञापन	38000.00

	पतोरा, जनपद पंचायत फिंगेश्वर	08–09		प्रकाशन पर ब्यय	
4	ग्राम पंचायत बंगोली	05–06 से 09–10	10	बारहवें वित्त आयोग मद से बर्तन एवं खेल सामग्री का अनियमित भुगतान	58500.00
5	ग्राम पंचायत विश्रामपुरी	03–04 से 09–10	05	महिला बीमा की राशि का अनियमित भुगतान	85848.00
6	ग्राम पंचायत बिरनीपाली जनपद पंचायत बरमकेला	2005–06 से 08–09	11	वर्तमान सरंपच द्वारा नगर सिलक निर्धारित सीमा से अधिक रखा जाना	390330.00
7.	ग्राम पंचायत कमर्जी	03–04 से 05–06	–	वर्तमान सरंपच द्वारा नगर सिलक निर्धारित सीमा से अधिक रखा जाना	20530821.00
8.	ग्राम पंचायत बहरासी	2003–04	–	इंदिरा आवास योजना मद में कार्यो की प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त किए बिना अनियमित भुगतान	1575924.00
9.	ग्राम पंचायत ननककटी	2004–05 से 2009–10	–	अभिनंदन विज्ञापन प्रकाशन पर अनियमित भुगतान	35500.00

17. राजस्व मांग वसूली :–

विभाग द्वारा प्रतिवेदनाधीन वर्ष 2010–11 में संपरीक्षित निकायों में करों एवं शुल्कों की मांग वसूली संतोषजनक नहीं पायी गयी। विभिन्न संपरीक्षित वर्षो तथा संस्थाओं में उपलब्ध जानकारी अनुसार वर्ष 2009–10 में ` 330032045.00 तथा वर्ष 2010–11 में ` 187194224.00 (दिनांक 31 दिसम्बर 2010 तक) वसूली हेतु शेष थी ।

18. अग्रिम :–

अ. वित्तीय वर्ष 2009–2010 की स्थिति में विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि ` 63505059.00 का अग्रिम समायोजन/ वसूली हेतु थी ।

ब. वित्तीय वर्ष 2010–11 की स्थिति में विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि ` 30939799.00 समायोजन /वसूली हेतु शेष है ।

वित्तीय नियमों का समुचित पालन नहीं किये जाने से अग्रिमों का समायोजन होना नहीं पाया गया। विभिन्न निकायों कें विभिन्न वर्षो में अधिकारी/कर्मचारी/अन्य संस्थाओं की ओर समायोजन हेतु शेष अग्रिम के उदाहरण निम्नानुसार है :–

क	निकाय का नाम	वर्ष	समायोजन हेतु शेष राशि
1	जनपद पंचायत फरसगांव	2004–05 से 2009–10	278137.00
2	कृवि.केन्द्र अम्बिकापुर	2009–10	136490.00
3	नगर पंचायत चांपा	2008–09 से 2009–10	296280.00
4	जनपद पंचायत मुंगेली	2008–09 से 2009–10	200000.00
5	जनपद पंचायत तखतपुर	2008–09 से 2009–10	1068724.00
6	जनपद पंचायत मस्तुरी	2008–09	1090000.00
7	कृषि विपणन बोर्ड बिलासपुर	2008–09	119950.00

19. ऋण :–

अ. वित्तीय वर्ष 2009–10 की स्थिति में विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि ` 208043402.00 ऋण शेष थी ।

ब. वित्तीय वर्ष 2010–11 की स्थिति में (दिनांक 31 दिसम्बर 2010 तक) विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि ` 115286708.00 ऋण शेष है ।

20. अनुदान :–

वित्तीय वर्ष 2009–10 में विभिन्न अंकेक्षित निकायों को शासन / विभिन्न संस्थाओं से विभिन्न प्रयोजनों हेतु प्राप्त अनुदान में से कुल राशि ` 1874330198.00 अवशेष होना पाया गया । इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2010–11 (दिनांक 01.04.10 से 31.12.2010) में विभिन्न अंकेक्षित निकायों की ओर को कुल राशि ` 3691905079.00 का अनुदान अवशेष होना पाया गया।

21. निक्षेप :–

वित्तीय वर्ष 2009–10 में विभिन्न अंकेक्षित निकायों की ओर कुल राशि ` 118325716.00 का निक्षेप वापसी योग्य पाया गया एवं वित्तीय वर्ष 2010–11 (दिनांक 01.04.10 से 31.12.2010) में विभिन्न अंकेक्षित निकायों की ओर कुल राशि ` 44949577.00 का निक्षेप वापसी योग्य पाया गया ।

भाग – दो

बजट :–

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा वर्ष 2010–11 के लिये राशि ` 119155 हजार आबंटित किया गया। आबंटित बजट में से दिनांक 31 दिसम्बर 2010 तक कुल राशि ` 61996 हजार व्यय हुआ है ।

भाग – तीन

1. निरीक्षण :–

संचालनालय के अधीन स्थानीय निकायों में पश्चातवर्ती संपरीक्षा दल के कार्यो का समय–समय पर सहायक संचालक/उप संचालक द्वारा निरीक्षण पर्यवेक्षण की जाती है। इसके अतिरिक्त संचालक के निर्देशन में गठित निरीक्षण दल द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है ।

2. पर्यवेक्षण :–

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में विभिन्न स्तरीय निकायों की विभिन्न वर्षो की लेखाओं की संपरीक्षा की गई तथा जिसमें से अधिकांशतः निकायों का विभागीय अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण भी किया गया

संचालनालय संस्थागत वित्त

भाग–1

संचालनालय के गठन का उद्देश्य :–

छत्तीसगढ़ राज्य के बैंको के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलाई जा रही योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, राज्य का वित्तीय एजेंसियों के साथ समन्वय तथा राज्य में संस्थागत वित्त का अधिकाधिक प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संस्थागत वित्त संचालनालय की स्थापना की गई है। तद्नुसार संचालनालय को निम्नांकित दायित्व सौंपे गये :–

1. बैंकिग कार्यकलापों का विस्तार तथा बैंको को विकासमूलक कार्यक्रम के संपादन में आने वाली बाधाओं/समस्याओं का निराकरण करना।
2. बैंको एवं वित्तीय संस्थाओं के योगदान से संबंधित राज्य और जिला स्तर समन्वय समितियों तथा सलाहकार समिति से जुड़े कार्य।
3. जिला एवं राज्य स्तरीय ऋण योजना, ऋण देने की प्रणाली एवं गति में सुधार संबंधित कार्य।
4. वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त पोषण से संबंधित आंकड़ों का संधारण।
5. विदेशी सहायता प्राप्ति एवं तत्संबंधी परियोजनाओं का सफल क्रियान्वयन एवं अभिलेख इत्यादि का संधारण कार्य।
6. ब्रिस्क योजना का क्रियान्वयन।
7. भारत सरकार, राज्य शासन, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा प्रवर्तित योजनाओं तथा निर्देशावली के क्रियान्वयन।

राज्य शासन की विकास नीतियों को मूर्त रूप देने के लिये अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के उद्देश्य से भारत शासन के माध्यम से विदेशी सहायता भी प्राप्त की जाती है। चूँकि विदेशी सहायता की राशि भारत शासन के माध्यम से राज्य शासन की अतिरिक्त योजना संसाधन के रूप में प्राप्त होती है, संचालनालय का यह प्रयास रहा कि भारत सरकार को अधिक से अधिक विकास परियोजनाएं विदेशी सहायता हेतु प्रेषित की जाए, जिससे राज्य की विकास गति को अपेक्षा अनुसार वित्तीय समर्थन मिलता रहे। संचालनालय द्वारा ऐसी विदेशी संस्थाओं से सहायता ली जाती है, जिसका ऋण दर कम हो तथा अधिक से अधिक अनुदान प्राप्त हो।

संचालनालय का प्रशासकीय ढ़ाँचा–

उपरोक्त दायित्वों एवं कार्यो के संपादन एवं निर्वहन के लिये स्थापित संस्थागत वित्त संचालनालय के अधीन राज्य स्तर पर अमला स्वीकृत है पर कोई क्षेत्रीय अथवा मैदानी अमला नहीं हैं।

संचालनालय के अमले में निम्नलिखित सेटअप की स्वीकृति प्रदान की गई हैः–

क्र.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1.	संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रवर श्रेणी वेतनमान	01	–	01
2.	अतिरिक्त संचालक	37400–67000 +Gr.Pay 8700	01	01	–
3.	संयुक्त संचालक	15600–39100 +Gr.Pay 7600	01	01	–
4.	प्रोग्रामर सह सिस्टम डमिनिस्ट्रेटर	15600–39100 +Gr.Pay 5400	01	–	01
5.	सहायक साँख्यिकी अधिकारी	9300–34800 +Gr.Pay 4300	01	01	–
6.	स्टेनोग्राफर वर्ग–2	9300–34800 +Gr.Pay 4300	01	01	–
7.	स्टेनोग्राफर वर्ग–3	5200–20200 +Gr.Pay 2800	01	–	01
8.	लेखापाल	5200–20200 +Gr.Pay 2400	01	01	–
9.	सहायक वर्ग–2	5200–20200 +Gr.Pay 2400	01	–	01
10.	सहायक ग्रेड–2	5200–20200 +Gr.Pay 1900	02	02	–
11.	ड्रायवर	5200–20200 +Gr.Pay 1900	02	01	01
12.	भृत्य	4750–7440 +Gr.Pay 1300	02	02	–
13.	फर्राश	कलेक्टर दर पर	01	–	01
14.	चौकीदार	कलेक्टर दर पर	01	–	01
	योग–		17	10	07

भारतीय रिजर्व बैंक से प्रतिनियुक्त अधिकारी, अपर संचालक के पद पर पदस्थ हैं तथा वर्तमान में संचालक के पद पर कार्यरत हैं। प्रोग्रामर–सह–सिस्टम–एडमिनिस्ट्रेटर, सहायक साँख्यिकी अधिकारी, लेखापाल तथा भृत्य के पद संविदा नियुक्ति से भरे गये हैं।

बजट प्रावधान एवं व्यय

अ.

2052–सचिवालय सामान्य सेवायें

(091)–संबंद्ध कार्यालय

4296–संचालनालय संस्थागत वित्त

- विभागीय उपलब्ध बजट

(आंकडे लाख ` में) (31 दिसम्बर 2010 की स्थिति में)

क्र	बजट शीर्ष	प्राप्त आबंटन	व्यय	शेष
1	वेतन भत्ते आदि ` 01	**35.05**	**23.99**	**11.06**
2	मजदूरी ` 02	**1.00**	**0.56**	**0.44**
3	यात्रा भत्ता ` 03	**6.50**	**5.38**	**1.12**
4	कार्यालय व्यय `04	**8.85**	**5.24**	**3.61**
5	प्रशिक्षण `05	**1.00**	**0.00**	**1.00**
6	व्यवसायिक सेवाओं ` 10 हेतु अदायगियां	**0.80**	**0.09**	**0.71**
7	अनुरक्षण पर व्यय ` 24	**0.80**	**0.58**	**0.22**
8	वाहनों का क्रय ` 34	**5.00**	**3.80**	**1.20**
	योग–	**59.00**	**39.64**	**19.36**

ब.

2052–सचिवालय सामान्य सेवायें

(091)–संबंद्ध कार्यालय

4296–संचालनालय संस्थागत वित्त

2435–अन्य कृषि कार्यक्रम

(आंकडे लाख ` में) (31 दिसम्बर 2010 की स्थिति में)

क्र	बजट शीर्ष	प्राप्त आबंटन	व्यय	शेष
1	कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज–0101–5628	**10,00.00**	**206.40**	**793.60**

- यूरोपियन कमीशन – राज्य साझेदारी कार्यक्रम अंतर्गत उपलब्ध बजट

2052–सचिवालय सामान्य सेवायें

(091)–संबंद्ध कार्यालय

4296–संचालनालय संस्थागत वित्त

6725–यूरोपियन कमीशन

(आंकडे लाख ` में) (31 दिसम्बर 2010 की स्थिति में)

क	बजट शीर्ष	प्राप्त आबंटन	व्यय	शेष
1	वेतन भत्ते आदि ` 1	**10.00**	**3.82**	**6.18**
2	यात्रा भत्ता ` 03	**9.21**	**3.47**	**5.74**
3	कार्यालय व्यय ` 04.009 सूचना प्रौद्योगिकी	**10.00**	**1.04**	**8.96**
4	प्रशिक्षण ` 05.001 अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण	**6.94**	**00.00**	**6.94**
5	अनुरक्षण कार्य ` 24	**0.80**	**0.79**	**0.01**
	योग	**36.95**	**9.12**	**27.83**

भाग–3

संचालनालय के कार्यकलाप एवं गतिविधियाँः–

1. संचालनालय के सफल प्रयास से बैंकों के कार्यक्षमता में वृद्धि हुई है। बैंको को साख जमा अनुपात का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैचमार्च 60% के विरूद्ध मार्च 2010 में 56.59% हुआ है। राज्य में प्राथमिक क्षेत्रों में साख की दर भारतीय रिजर्व बैक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैचमार्च 40% के विरूद्ध मार्च 2010 में 56.99% हो गया हैं। कृषि ऋण (अग्रिम) कुल साख का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैचमार्च 18% के विरूद्ध मार्च 2010 मे 30.40% हुआ है। कृषि क्षेत्र में कुल अग्रिम मार्च 2009 में ` 4248.35 करोड के विरूद्ध मार्च 2010 में ` 8494.65 करोड हुआ है। यह वृद्धि 99.95% हैं। लघु उद्योग क्षेत्र में कुल अग्रिम मार्च 2009 में ` 2711.52 करोड़ के विरूद्ध मार्च 2010 में ` 3612.43 करोड हुआ है, जो कि 33.23% अधिक है। कमजोर क्षेत्र को अग्रिम का कुल साख का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैचमार्च 10% के विरूद्ध मार्च 2010 में 10.17% हुआ है।

2. अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत् प्रदेश के 18 जिले वाणिज्यिक बैंको के बीच बंटे हुंए है। अग्रणी बैंक का प्रमुख उत्तरदायित्व जिले की साख योजनाओं को तैयार कर कार्यान्वित करना एवं बैंक तथा जिला प्रशासन के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना है। जिला स्तर पर साख संबंधी योजना तैयार करने का कार्य को सुगम बनाने के लिये राज्य स्तर पर विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाली शासकीय विभागों के साथ समन्वय कर आगामी वर्ष की साख योजना के लिये दस्तावेज तैयार करने का प्रयास किया जाता है। शासन प्रायोजित योजनाओं के अंर्तगत लक्ष्य प्राप्ति हेतु बैंकों के साथ अनुश्रवण कर वित्त पोषण सुनिश्चित किया जाता है। राज्य निर्माण के बाद लगातार पांचवें वर्ष भी स्टेट क्रेडिट प्लान 2010–11 तैयार किया गया जिसमें योजनावार एवं जिलावार भौतिक, वित्तीय लक्ष्य एवं अनुदान की राशि का समावेश किया गया है।

3. <u>पात्र बैंको की सूची **(Empanelment of Banks) -**</u>

वर्ष 2010–11 में राज्य शासन के अधीन निगमों/निकायों/मण्ड़लों की अतिरिक्त राशि को वाणिज्यिक बैंकों में जमा करने हेतु पारदर्शी एवं उद्देश्यपूर्ण मापदण्ड़ो के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के सर्वागीण विकास तथा शासन प्रायोजित योजनाओं में भागीदारी व सहयोग करने वाले पात्र बैंको की नवीन सूची तैयार की गई हैं । पात्र बैंकों की सूची में केवल वे बैंक ही सम्मिलित होंगे जिनका राज्य के विकास में वांछनीय योगदान रहा है।

<u>भाग–4</u>

<u>बैंक वसूली प्रोत्साहन योजना प्रकोष्ठ (ब्रिस्क) का क्रियान्वयन :–</u>

शासन प्रायोजित योजनाओं के अंर्तगत् व्यावसायिक बैंको एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा प्रदत्त ऋणों के अतिदेय राशियों की वसूली हेतु सहायता करने में राज्य शासन भरसक प्रयत्नशील हैं । इस दिशा में राज्य शासन वसूली हेतु अपने प्रशासनिक तंत्र (राजस्व अमला) की सुविधा उपलब्ध कराती हैं। ब्रिस्क योजना के अंर्तगत् पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य को ` 12,83,629.00 बंटवारे में प्राप्त हुए। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद से दिसम्बर 2010 की स्थिति में ` 35,80,210.00 विभिन्न जिलों के कलेक्टरों से प्राप्त हुए है।

भाग–5

संचालनालय संस्थागत वित्त, छत्तीसगढ़, रायपुर में पदस्थ अमले की जानकारी

क्र.	नाम	पदनाम	रिमार्क
1.	श्री अमिताभ खण्डेलवाल	संचालक	
2.	श्री आर.जी.एस. चौहान	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	
3.	श्री आर.ए. दीवान	सहा. सांख्यिकी अधिकारी	
4.	श्री आर.सी. खरे	स्टेनोग्राफर वर्ग–2	
5.	श्री महेश कुमार शर्मा	सहायक ग्रेड–2	
6.	श्री सत्यवीर सिंह राठौर	सहायक ग्रेड–3	
7.	श्री तेनसिंह विनायक	सहायक ग्रेड–3	
8.	श्री विजय कुमार मिश्रा	वाहन चालक	
9.	श्री बैशाखू राम कोराम	भृत्य	
10.	श्री भूषण लाल धर्मा	भृत्य	

संचालनालय अल्प बचत एवं लॉटरीज

भाग–एक

सामान्य जानकारी :–

छत्तीसगढ़ राज्य में वित्त विभाग के अंतर्गत संचालनालय, अल्प बचत एवं राज्य लॉटरीज गठित है। विभाग का प्रमुख कार्य अल्प बचत योजनाओं को राज्य में बढ़वा देना है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 18 जिले है, जिसमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा में वरिष्ठ जिला अल्प बचत अधिकारी तथा रायगढ़, सरगुजा, कोरिया, धमतरी, महासमुंद, राजनांदगांव एवं कबीरधाम, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर एवं नारायणपुर के कार्यालय नहीं खुले है। नये जिले का कार्य पुराने जिले के अल्प बचत अधिकारी ही देख रहे है।

अल्प बचत योजनांएं :–

1. किसान किास पत्र
2. राष्ट्रीय बचत पत्र आठवां निर्गम
3. मासिक आय योजना
4. सावधि जमा योजना
5. डाकघर बचत खाता
6. पंच वर्षीय आवर्ति जमा योजना
7. वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना
8. लोक भविष्य निधि खाता

उपरोक्त योजनाओं का क्रियान्वयन एस.ए.एस. एजेन्ट एम.पी.के.बी. वाय. एजेन्टों की नियुक्ति एवं पी.पी.ए. एजेन्टों की नियुक्ति संबंधी कार्य संचालनालय की देखरेख में जिले के कलेक्टर द्वारा किया जाता है।

वार्षिक लक्ष्य

वर्ष 2010–11 का लक्ष्य 200.00 करोड़ प्रस्तावित

माह दिसंबंर 2010 तक 281 करोड़

बजट – 71,68,000.00

व्यय – 48,79,248.00

संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली

संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली कार्यालय का गठन छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 13 अगस्त, 2001 को किया गया । वित्त विभाग के अंतर्गत् गठित इस कार्यालय द्वारा राज्य शासन के वित्तीय प्रबंध एवं वित्तीय नियंत्रण से संबंधित सभी कार्य किये जाते हैं ।

वर्ष 2010–11 में कार्यालय की गतिविधियां :–

वर्ष 2010–11 का बजट अनुमान तथा प्रथम एवं द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2010–11 संकलित कर निर्धारित रूप में तैयार कर विधानसभा में प्रस्तुत किया गया तथा वर्ष 2011–12 के बजट अनुमान का संकलन कार्य प्रगति पर है ।

संगठनात्मक ढांचा :–

संचालनालय के लिये निम्नलिखित पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है । सभी पद प्रतिनियुक्ति रक्षित है । संचालक के पद हेतु संयुक्त सचिव या उप–सचिव के समकक्ष अधिकारी जो भी संचालक, बजट होंगे, पदेन रूप से इस पद पर आसीन होंगे–

क्र	पद	श्रेणी/संवर्ग	पद संख्या	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन
1	संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा	पदेन	–	–
2	संयुक्त संचालक (राज्य वित्त सेवा)	प्रथम श्रेणी	01	15600–39100	7600
3	प्रोग्रामर	द्वितीय श्रेणी	01	15600–39100	5400
4	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय श्रेणी	01	9300–34800	4200
5	कनिष्ठ लेखाधिकारी	तृतीय श्रेणी	01	9300–34800	4200
6	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)	तृतीय श्रेणी	01	5200–20200	2800
7	स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी)	तृतीय श्रेणी	01	5200–20200	2800
8	सहायक ग्रेड–2	तृतीय श्रेणी	01	5200–20200	2400
9	कम्प्यूटर सहायक	तृतीय श्रेणी	01	5200–20200	2400
10	डाटा एन्ट्री आपरेटर	तृतीय श्रेणी	01	5200–20200	2200

11	सहायक ग्रेड–3	तृतीय श्रेणी	01	5200–20200	1900
12	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	01	5200–20200	1900
13	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	01	4750–7400	1400
14	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	02	4750–7400	1300

बजट आबंटन तथा व्यय (2010–11)

31 दिसंबर, 2010 की स्थिति में

(राशि हजार में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	योजना क्रमांक	योजना का नाम	बजट आवंटन	वास्तविक व्यय
1	2052	4295	संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	3620	3081

छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

सामान्य जानकारी :–

(1) गठन का उद्देश्य

सी.आई.डी.सी. का गठन, कम्पनी अधिनियम के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के अंतर्गत 26 फरवरी, 2001 को किया गया था। इसे अपना व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण–पत्र 28 मार्च, 2001 को प्राप्त हुआ। शासन द्वारा इसकी अधिकृत अंशपूंजी ` 10.00 करोड़ रखी गयी है। मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन के अनुसार इस कार्पोरेशन इस कार्पोरेशन के गठन का मुख्य उद्देश्य इस प्राकर हैः–

यह निगम राज्य में सभी प्रकार की अधोसंरचना विकास एवं उसके लिये निजी पूंजी निवेश के समन्वय हेतु छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सलाहकार व नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा तथा राज्य में सभी प्रकार की अधोसंरचना विकास परियोजनाओं हेतु नीति के निर्धारण, संवर्धन, विकास, क्रियान्वयन, निर्माण, संचालन रखरखाव, प्रबंधन एवं वित्तीय व्यवस्था के लिये प्रवर्तक, सलाहकार, प्रायोजक व प्रबंधन सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करेगा।

(2) संगठनात्मक ढांचा

सी.आई.डी.सी. में निम्नानुसार अमला कार्यरत हैः–

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद
1	प्रबंध संचालक	1	1
2	मुख्य महाप्रबंधक	2	1
3	प्रबंधक	2	–
4	प्रबंधक (लेखा)	1	1
5	स्टेनोग्राफर	6	2
6	रिसेप्सनिस्ट	2	–

(3) क्रियाकलाप :–

दिनांक 31.12.2002 को मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के विघटन उपरान्त छत्तीसगढ़ राज्य के हिस्से में आने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों तथा चल–अचल सम्पत्तियों आदि को अभिप्राप्त करने के लिए राज्य शासन द्वारा सी.आई.डी.सी. को अधिकृत किया गया। राज्य शासन के आदेशानुसार सी.आई.डी.सी. द्वारा विघटित परिवहन निगम के कर्मचारियों का पुनर्वास तथा निगम के परिसमापन का कार्य किया जा रहा है।

(4) बजट प्रावधान एवं व्यय :–

(अ) सी.आई.डी.सी. को वित्तीय वर्ष 2010–11 मे प्रावधानित राशि ` 30.00 लाख के विरूद्ध 31.12.10 तक लगभग ` 18.74 लाख व्यय हो चुका है।

(ब) सी.आई.डी.सी. के नियंत्रणाधीन विघटीत परिवहन निगम को वित्तीय वर्ष 2010–11 में प्रावधानित राशि ` 1000.00लाख में विरूद्ध एकमुश्त समझौते में ` 355.17 लाख, मोटर दुर्घटना दावा प्राकरणों में ` 36.61 लाख, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में ` 55.78 लाख, ग्रेज्युटी में ` 36.73 लाख तथा अन्य मदों में ` 208.14 लाख, कुल ` 692.43 लाख का व्यय हो चुका है।

राज्य योजना आयोग

राज्य योजना आयोग के दायित्वः–

- राज्य की पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजना का विनिर्माण
- राज्य के साधनों का मूल्यांकन करना और उसके सर्वाधिक प्रभावी उपयोग के लिए योजनाएं बनाना।
- योजना की प्राथमिकता सुनिश्चित करना।
- जिलों के उन क्षेत्रों में जिसमें विकास योजनाएं तैयार करना, राज्य की योजना के ढॉचे के अंदर उपयोगी माना जाए, ऐसी योजनाएं बनाने में जिला अधिकारियों की सहायता करना।
- उन कारणों का पता लगाना, जिसमें राज्य के आर्थिक तथा सामाजिक विकास में रूकावटें आती हो और राज्य में, क्षेत्र में व्याप्त असंतुलन को दूर करने के उपाय सुझाना।
- योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा/पुनर्विलोकन करना तथा नीतियों और उपायों में ऐसे समायोजनो की सिफारि ा करना जो जरूरी है।
- विकेन्द्रीकृत योजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र की सहायता से संपादित को राज्य के पांच जिलों क्रमशः सरगुजा, जशपुर, कोरबा, महासमुंद तथा कांकेर में क्रियाव्वयन।
- विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना तथा जनसहभागिता योजना का संचालन।

केन्द्रीय योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा विभिन्न विकास संकेतकों में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) की अवधि हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के लिए निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किये गये हैंः–

क.	इकाई	**or'eku fLFkfr**	**11oha iapo"khZ; ;kstuk dk y{;**
1	गरीबी में कमी 1. ग्रामीण 2. शहरी	 45% 7.23%	 23% 5%
2	शिशु मृत्यु दर (IMR)	61/1000	30/1000

3	मातृत्व मृत्यु दर (MMR)	379 (2003 में)	126
4	जन्म दर (TFR)	2.6	2.00
5	कुपोषण	55 (1999 में)	20
6	रक्ताल्पता	NA	27
7	लिंगानुपात	989	999
8	ड्राप आउट रेट	13.62	10
9	साक्षरता दर	65.18%	85%
10	सकल घरेलू उत्पादन (GDP)		
	1. कृषि		3-4%
	2. उद्योग		12.00%
	3. सेवाएं		8.00%
	योग		**9.50%**

विभिन्न विकास संकेतकों के अनुरूप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए राज्य की पंचवर्षीय योजना (2007-08 से 2011-12) के लिए ₹ 53730.00 करोड़ की योजना का अनुमोदन किया गया है।

योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की ग्यारहवीं पंचवार्षिययोजना निम्नानुसार अनुमोदित की गई है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12)

(करोड़ ₹ में)

क.	प्रमुख क्षेत्रक	कुल परिव्यय	कुल का प्रतिशत
1	कृशि एवं संबद्ध सेवायें	1,955.46	3.64
2.	ग्रामीण विकास	4,260.06	7.93
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	284.30	0.53
4.	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	7,227.73	13.45
5.	ऊर्जा	1,805.37	3.36
6.	उद्योग तथा खनिकर्म	815.06	1.52
7.	यातायात	7,272.48	13.54
8.	विज्ञान प्रौद्योगिक एवं पर्यावरण	3,369.53	6.27
9.	सामान्य आर्थिक सेवायें	834.68	1.55
10.	सामाजिक सेवायें	25,568.96	47.59
11.	सामान्य सेवायें	336.36	0.63
	कुल योग	53,730.00	100.00

ग्यारहवीं पंचवार्षिय योजना में मानव विकास संकेतकों में सुधार एवं सहस्त्राब्दी विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक सेवाओं के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। पंचवार्षिय योजना की 47.59 प्रतिशत राशि सामाजिक सेवा पर व्यय किए जाने के प्रावधान का प्रस्ताव है। सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत 10.14 प्रतिशत राशि शिक्षा पर, 4.32 प्रतिशत राशि स्वास्थ्य सेवाओं पर तथा 14.61 प्रतिशत राशि जल आपूर्ति एवं स्वच्छता पर व्यय किए जाने का प्रस्ताव है। राज्य में कृशि के विस्तार के लिए 13.45 प्रतिशत राशि सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर तथा यातायात के साधनों के विकास हेतु 13.54 प्रतिशत राशि सड़क सुविधाओं के विस्तार पर व्यय किए जाने का प्रस्ताव है।

वर्ष 2007–08 में अनुमोदित परिव्यय ` 7,413.72 करोड़ के विरूद्ध ` 6,196.11 करोड़ का व्यय किया गया। ग्यारहवीं पंचवार्षिय योजना के अंतर्गत द्वितीय वर्श 2008–09 में योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा ` 9,599.00 करोड़ के परिव्यय का अनुमोदन किया गया था, जिसके विरूद्ध ` 8,137.37 करोड़ का व्यय किया गया। कृशि एवं सम्बद्ध सेवाओं पर ` 623.03 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय के विरूद्ध ` 655.44 करोड़ का व्यय किया गया। ग्रामीण विकास पर ` 605.14 करोड़ के विरूद्ध ` 425.79 करोड़ का व्यय किया गया एवं सामाजिक सेवाओं पर अनुमोदित परिव्यय ` 4,682.10 करोड़ के विरूद्ध ` 4,034.58 करोड़ का व्यय किया गया।

वार्षिक योजना 2009–10 के लिए योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा ` 10,947.02 करोड़ के परिव्यय का अनुमोदन किया गया। वार्षिक योजना 2009–10 में कुल परिव्यय ` 10947.02 करोड़ के विरूद्ध ` 10204.36 करोड़ का व्यय किया गया। वार्षिक योजना 2010–11 का अनुमोदित परिव्यय ` 13230 करोड़ है, जो कि वार्षिक योजना 2009–10 के परिव्यय की तुलना में 20.86 प्रतिशत अधिक है। वार्षिक योजना 2010–11 में कृशि एवं सम्बद्ध सेवाओं हेतु ` 1385.03 करोड़, सिचांई सुविधाओं के विस्तार हेतु ` 1687.60 करोड़ तथा सामाजिक सेवाओं के विस्तार हेतु ` 6833.32 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

वार्षिक योजनाओं का अनुमोदित परिव्यय

(लाख ` में)

क.	प्रमुख क्षेत्रक	वार्षिक योजना 2007–08	वार्षिक योजना 2008–09	वार्षिक योजना 2009–10	वार्षिक योजना 2010–11
1	2	3	4	5	6
1	कृशि एवं सम्बद्ध सेवायें	24,030. 60	62,302.83	78,933.31	1,38,502.58
2	ग्रामीण विकास	45,313. 72	60,514.00	57,624.65	37,778.26
3	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	29,155. 51	36,495.35	37,731.40	38,726.53
4	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	97,813. 67	93,746.80	96,870.23	1,68,759.70
5	उर्जा	11,132. 83	7,064.15	21,180.25	26,129.00
6	उद्योग तथा खनिकर्म	18,318. 34	20,464.20	22,055.47	18,966.79
7	यातायात	1,34,366. 96	1,44,243.88	1,11,489.53	1,03,767.75
8	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	18,815. 83	34,864.75	28,501.30	32,800.80
9	सामान्य आर्थिक सेवायें	25,263. 22	24,061.71	25,043.21	61,044.41
10	सामाजिक सेवायें	3,26,13. 23	4,68,209.93	6,05,941.95	6,83,381.75
11	सामान्य सेवायें	11,029. 03	7,932.40	9,331.46	13,142.43
	योग	**7,41,371.94**	**9,59,900.00**	**10,94,702.76**	**13,23,000.00**

वार्षिक योजनाओं का अनुमोदित व्यय

(लाख ` में)

क.	प्रमुख क्षेत्रक	वार्षिक योजना 2007–08 व्यय	वार्षिक योजना 2008–09 व्यय	वार्षिक योजना 2009–10 व्यय
1	2	3	4	5
1	कृषि एवं सम्बद्ध सेवायें	16,297 .76	65,544.15	80827.81
2	ग्रामीण विकास	35,630 .39	42,578.91	29593.95
3	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	32,072 .92	32,238.81	30616.70
4	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	84,868 .24	91,615.24	103152.62
5	उर्जा	17,987 .61	11,309.35	17795.10
6	उद्योग तथा खनिकर्म	18495 .02	11,814.25	16899.73
7	यातायात	1,02,995 .14	1,00,352.54	88281.09
8	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	19,419 .06	23,894.08	27872.77
9	सामान्य आर्थिक सेवायें	48,497 .20	23,288.40	59187.55
10	सामाजिक सेवायें	2,39,109 .69	4,03,458.22	559961.94
11	सामान्य सेवायें	4,238 .00	7,643.06	6246.48
	योग	**6]19]611-03**	**8,13,737.01**	**1020435.74**

3. जिला वार्षिक योजना :–

भारतीय संविधान के 73 वें एवं 74 वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, जिसमें उसे विकेन्द्रीकृत नियोजन अपनाने का विस्तृत अधिकार प्रदान किया गया है। योजना आयोग, भारत सरकार के निर्देशानुसार 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जिला वार्षिक योजनाएं जिला योजना समिति द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों की सक्रिय भागीदारी से बनाई जा रही हैं।

11वीं पंचवार्षिय योजना के दौरान वर्ष 2009–10 हेतु 8 जिलों से जिला योजना समिति के अनुमोदन उपरांत जिला योजना तैयार करके प्राप्त हुई थी। वर्श 2010–11 तथा वर्श 2011–12 के लिए सभी 18 जिलों से जिला योजना समिति के अनुमोदन उपरांत जिला योजनाएं राज्य योजना आयोग को प्राप्त हुई हैं।

जिलों द्वारा प्रस्तावित जिला योजना का जिलेवार विवरण

(राशि ` लाख में)

स. क.	जिला का नाम	जिला योजना वर्ष 2009–10	जिला योजना वर्ष 2010–11	जिला योजना वर्ष 2011–12
1	2	3	4	5
1	सरगुजा	अप्राप्त	71710.92	69071.27
2	जशपुर	26210.49	46687.35	44908.15
3	कोरिया	अप्राप्त	4956.89	27645.58
4	बस्तर	अप्राप्त	100354.94	116388.12
5	दंतेवाड़ा	अप्राप्त	24857.87	40898.26
6	बीजापुर	अप्राप्त	9861.93	40980.93
7	नारायणपुर	अप्राप्त	14055.45	17482.44
8	कांकेर	अप्राप्त	48499.88	43872.91
9	रायपुर	28892.60	30845.34	63445.02
10	महासमुंद	अप्राप्त	56753.64	37847.67
11	धमतरी	39876.16	51211.09	72373.92
12	दुर्ग	अप्राप्त	105788.15	134313.27
13	राजनांदगांव	80619.96	97777.19	96453.72
14	कबीरधाम	34375.35	18061.72	33301.22
15	बिलासपुर	78107.65	110802.01	126603.36
16	जांजगीर–चाम्पा	39186.92	29495.63	40494.47
17	कोरबा	51579.56	51192.71	56500.12
18	रायगढ़	54583.44	91464.76	113498.31
	योग :–	**433432.13**	**964377.47**	**1176078.74**

जिलों से प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करने के उपरांत योजनावार संबंधित विभागाध्यक्ष को वित्त विभाग व राज्य योजना आयोग द्वारा सूचित किया जाता है जिससे जिलों को उनके प्रस्ताव अनुसार राशि उपलब्ध किया जा सके।

भारत सरकार, राज्य सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं के मध्य त्रिपक्षीय अनुबंध के अनुरूप राज्य के पांच जिलों यथा महासमुंद, कांकेर, कोरबा, सरगुजा एवं जशपुर में विकेन्द्रीकृत जिला योजना निर्माण में सहयोग देने के लिए GoI- UN Joint Programme on Convergence कियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत यूनिसेफ तथा यूएनडीपी द्वारा एक-एक तकनीकी सहायक उल्लेखित जिलों में उपलब्ध किया गया हैं एवं राज्य स्तर पर एक-एक अधिकारी उपलब्ध कराया गया है।

भाग -दो

छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग का बजटीय प्रस्ताव 2009-10

(राशि लाख ` में)

क्र.	योजना शीर्ष एवं क्रमांक	स्वीकृत बजट वर्ष 2009-10	पुनरीक्षित बजट वर्ष 2009-10	वर्ष 2009-10 का वास्तविक व्यय	बजट अनुमान 2010-11
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
(क) आयोजनेत्तर					
1. मांग संख्या-31, मुख्य लेखा शीर्ष-3451					
	राज्य योजना मण्डल	99.31	125.25	84.89	167.85
	यूरोपियन कमीशन	1.00	34.31	0.45	1.00
	योग :-	**100-31**	**159-56**	**85-34**	**168-85**
(ख) आयोजना					
2. मांग संख्या-41 मुख्य लेखा शीर्ष-4515					
	जनसहभागिता योजना	342.00	342.00	300.91	342.00
	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	1450.00	1450.00	1428.60	1450.00
	योग :-	**1792-00**	**1792-00**	**1729-51**	**1792-00**
3. मांग संख्या-60 मुख्य लेखा शीर्ष- 3451					
	जिला योजना का सुदृढीकरण	78.00	78.00	22.07	86.00
		78-00	**78-00**	**22-07**	**86-00**
4. मांग संख्या-60 मुख्य लेखा शीर्ष-4515					
	जनसहभागिता योजना	450.00	450.00	312.49	450.00
	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	2600.00	2600.00	2519.68	2600.00
	योग :-	**3050-00**	**3050-00**	**2832-17**	**3050-00**

5.	मांग संख्या–64 मुख्य लेखा शीर्ष–4515				
	जनसहभागिता योजना	110.00	110.00	64.85	110.00
	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	500.00	500.00	499.87	500.00
	योग :–	**610-00**	**610-00**	**564-72**	**610-00**
	कुल योग :– (2+ 4+5)	**5452-00**	**5452-00**	**5126-40**	**5452-00**
	महायोग :– (1+2+ 3+ 4+5)	**5630-31**	**5689-56**	**5233-81**	**5706-85**

भाग –तीन

राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजना

(अ) राज्य योजनाएं

1. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना :–

वर्ष 2004–05 से सम्पूर्ण राज्य में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना (विधायक निधि) लागू है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में ` 35.00 लाख मान0 विधायक महोदय की अनुशंसा पर तथा 15.00 लाख मान. प्रभारी मंत्री जी की अनुशंसा पर व्यय किये जाते हैं। मान. विधायक महोदय तथा प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पश्चात् विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत करवाये जाने वाले कार्यों हेतु, मार्गदर्शिका के अनुरूप उस जिले के कलेक्टर व्दारा स्वीकृति जारी की जाती है।

इस योजना के अंतर्गत माह दिसम्बर 2010 की स्थिति में वर्शवार जारी आबंटन तथा स्वीकृत एवं पूर्ण कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र योजना के अंतर्गत

(कार्य संख्या में, राशि लाख में)

वर्ष	आवंटन	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	प्रगति पर	अप्रारंभ
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**
2004–05	2730.00	2953	2945	5	3
2005–06	3654.53	3567	3547	15	5
2006–07	4553.80	3948	3887	50	11
2007–08	4551.50	4187	3854	319	14
2008–09	4560.66	3644	2941	660	43
2009–10	4550.00	3601	1458	1904	239
2010–11	4550.00	726	125	276	325
योग :–	29150.49	22626	18757	3229	640

2. जनसहभागिता योजना :–

राज्य के विकास के लिए विभिन्न विभागों द्वारा विकास योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं। राज्य भाासन द्वारा अपने सीमित वित्तीय साधनों से प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य कराये जाते हैं, जिससे समस्त जनआकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होती, साथ ही राज्य भाासन के विकास कार्यों के रख–रखाव हेतु जनता का उत्तरदायित्व निश्चित होना आवश्यक है। अतः विकास कार्यों में जनभागीदारी सुनि ित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ जनसहभागिता नियम– 2001 बनाया गया हैं।

इस योजना के अंतर्गत यदि किसी क्षेत्र की जनता मानव श्रम अथवा राशि के रूप में निर्माण कार्यों में सहयोग देना चाहती है तो उस क्षेत्र में निर्माण कार्यों को स्वीकृत किया जाता है। इसके लिए क्षेत्र के लोंगों को प्रस्ताव स्थानीय संस्था को देना होगा। स्थानीय संस्था प्राप्त प्रस्ताव को कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को भेजेगी, जहाँ से इन कार्यों की स्वीकृति जारी होगी। इस योजना के अंतर्गत सामान्य क्षेत्र में निर्माण कार्य की कुल लागत का 50 प्रति ात तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों में 25 प्रतिशत राशि जनभागीदारी के रूप में रहती है।

योजनांतर्गत मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों/नगरीय निकायों के स्थानीय मूलभूत सेवाओं से संबंधित जनोपयोगी विकास कार्य किये जाते हैं। शासन द्वारा जार दिशानिर्देश के आधार पर जनसहभागिता योजना के अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति प्रदान की जाती है। ऐसे कार्य जो दिशा निर्देश में सम्मिलित नहीं होते हैं और स्थानीय जनता इनकी स्वीकृति चाहती है तो औचित्य के आधार पर नियमों के अधीन स्वीकृति शासन स्तर पर एवं योजना विभाग द्वारा प्रदान की जाती है।

जनसहभागिता योजनांतर्गत निर्माण कार्य पंचायत/नगरीय निकायों अथवा जिले के कलेक्टर द्वारा नियुक्त निर्माण समिति द्वारा किया जाता है। निर्माण समिति में जनसहयोग देने वाले लोगों के दो प्रतिनिधि तथा संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय का एक प्रतिनिधि होता है।

यह योजना वर्ष 2002–03 से राज्य योजना आयोग के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। जनसहभागिता योजना के अंतर्गत वर्शवार जारी आबंटन तथा स्वीकृत एवं पूर्ण कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

(कार्य संख्या में, राशि लाख ` में)

वर्ष	आवंटन	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	प्रगति पर	अप्रारंभ
1	2	3	4	5	6
2002–03	800.00	468	468	0	0
2003–04	800.00	459	459	0	0
2004–05	800.00	375	375	0	0
2005–06	800.00	435	434	1	0
2006–07	858.00	448	442	6	0
2007–08	858.00	381	373	8	0
2008–09	858.00	326	291	34	1
2009–10	902.00	252	138	109	5
2010–11	902.00	72	13	44	15
योग :–	7578.00	3216	2993	202	21

भाग –चार

सामान्य प्रशासनिक विषय – निरंक

भाग –पांच

अभिनव योजना :–निरंक

भाग –छः

प्रकाशन :–

1. वार्षिक योजना 2009–10 का प्रस्ताव योजना आयोग भारत सरकार को प्रस्तुत किये जाने हेतु वार्षिक योजना के भाग–1 एवं भाग–2 का प्रकाशन किया गया है।
2. “Health Care in Chhattisgarh” विशय पर भी प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया।

भाग –सात

सारांश :–

राज्य योजना आयोग का प्रमुख दायित्व विभिन्न विकास विभागों के प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर प्रदेश की वार्षिक तथा पंचवर्षीय योजनाएँ तैयार कर योजना आयोग, भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना है। वार्षिक योजना 2009–10 हेतु योजना आयोग, भारत सरकार व्दारा ` 10,947.02 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य योजना आयोग द्वारा विकेन्द्रीकृत नियोजन के अंतर्गत जिला योजना तैयार करवाना तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना एवं जनभागीदारी योजना का संचालन किया जाना है।

परिशिष्ट–एक (1)

राज्य योजना मण्डल में स्वीकृत एवं भरे पदों की स्थिति

(दिसंबर, 2010 की स्थिति में)

क्र.	स्वीकृत पदनाम	श्रेणी	वेतनमान	ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद संख्या	भरे हुए पद	रिक्त पद संख्या	रिर्माक
1	सदस्य सचिव	प्रथम	37400–67000	10000	01	01	–	–
2	विशेष सचिव/ उपसचिव	प्रथम	37400–67000	8700	01	01	–	–
3	संयुक्त संचालक	प्रथम	15600–39100	7600	02	02	–	–
4	अवर सचिव	प्रथम	15600–39100	6600	01	01	–	–
5	सहायक संचालक	द्वितीय	9300–34800	4300	02	01	01	–
6	लेखाधिकारी	द्वितीय	15600–39100	5400	01	–	01	–
7	स्टेनोग्राफर ग्रेड–1	द्वितीय	9300–34800	4400	01	–	01	–
8	सहा.सांख्यिकी अधिकारी	तृतीय	9300–34800	4300	04	03	01	–
9	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय	9300–34800	4400	01	–	01	–
10	अन्वेषक	तृतीय	5200–20200	2800	04	03	01	–
11	संगणक/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	तृतीय	5200–20200	2200	04	03	01	–
12	स्टेनोग्राफर ग्रेड–2	तृतीय	9300–34800	4300	02	02	–	–
13	स्टेनोग्राफर ग्रेड–3	तृतीय	5200–20200	2800	02	01	01	–
14	सहायक ग्रेड–1	तृतीय	5200–20200	2800	01	–	01	–
15	लेखापाल	तृतीय	5200–20200	2400	01	01	01	–
16	कनिश्ठ लेखापाल	तृतीय	5200–20200	2400	01	–	01	–
17	सहायक ग्रेड–2	तृतीय	5200–20200	2400	02	02	–	–
18	सहायक ग्रेड–3	तृतीय	5200–20200	2200	02	–	02	–
19	वाहन चालक वरि.	तृतीय	5200–20200	1900	01	01	–	दैनिक वेतन
20	वाहन चालक कनि.	चतुर्थ	4750–7440	1400	03	02	–	––‘‘––
21	दफ्तरी	चतुर्थ	4750–7440	1400	01	01	–	पद के विरूद्ध
22	भृत्य	चतुर्थ	4750–7440	1300	06	05	01	–
23	चौकीदार	चतुर्थ			02	02	–	कलेक्टर दर
24	वाटरमेन	चतुर्थ			01	01	–	––‘‘––
25	फर्राश	चतुर्थ			01	01	–	––‘‘––
	योग				48	34	14	

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय

भाग–1

विभागीय संरचना :–

राज्य की सामाजार्थिक गतिविधियों में समन्यव, क्षेत्र सर्वेक्षण तथा विविध विषयों पर सांख्यिकी के एकत्रीकरण, सारणीयन एवं संकलित जानकारी के प्रस्तुतीकरण कार्यों को संपादित करने हेतु राज्य, जिला एवं जनपद मुख्यालय पर विभिन्न संवर्गों के अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थ है । वर्तमान में स्वीकृत एवं कार्यरत अमले का विवरण परिशिष्ट–1 में दर्शाया गया है ।

अधीनस्थ कार्यालय :–

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, के अधीनस्थ जिला स्तर पर प्रदेश के 18 जिलों में जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय स्थापित है । संचालनालय में प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यों के निष्पादन हेतु 12 संभाग है जिनका विवरण परिशिष्ट–2 में दर्शाया गया है ।

संचालनालय के दायित्व :–

शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के सविन्यास, प्रशासन एवं विकास से संबंधित आधारभूत सांख्यिकी का संकलन, सर्वेक्षण, विश्लेषण, मूल्यांकन तथा उन्हें प्रकाशित कर सामाजार्थिक स्थिति का स्पष्ट एवं वास्तविक चित्रांकन करने एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागों की सांख्यिकी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने का महत्वपूर्ण दायित्व इस संचालनालय का है । राज्य शासन द्वारा संचालनालय को इस हेतु नोडल अभिकरण घोषित किया गया है ।

संचालनालय के प्रमुख कार्य

1.सामान्य जानकारी :–

1.1 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के विन्यास हेतु विकास कार्यक्रमों एवं प्रशासकीय उपयोग हेतु वांछित सांख्यिकी का संकलन एवं विश्लेषण कार्य संपादित किया जाता है, साथ ही राज्य की सामाजार्थिक स्थिति का आंकलन नियमित रूप से करने के अलावा राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा अपेक्षित सर्वेक्षण/मूल्यांकन अध्ययनों का निष्पादन दायित्व भी संचालनालय का है ।

1.2 प्रचलित अधिनियम तथा नियम निम्नानुसार है :–

(अ) औद्योगिक सांख्यिकी (कारखाना अधिनियम, 1948) तथा सांख्यिकी अधिनियम, 1953

(ब) जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

(स) छत्तीसगढ. राज्य जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001

1.3 संचालनालय अपने तकनीकी कार्यों के संपादन हेतु राष्ट्रीय नीति का पूर्णतः अनुशरण करता है । इसके अंतर्गत भारत सरकार के केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय न्यादर्श संगठन, महारजिस्ट्रार जन्म–मृत्यु पंजीयन एवं योजना आयोग के अनुदेशों तथा निर्देशों के अनुरूप उपयोगी सांख्यिकी का निर्धारित प्रारूपों में संकलन, संधारण तथा विभिन्न प्रकाशनों का रूप दिया जाता है । राष्ट्रीय स्तर का सर्वेक्षण अनुसूचियों द्वारा ही संचालनालय से सर्वेक्षण संपादित कर प्रतिवेदन तैयार किया जाता है ।

1.4 केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के मार्गदर्शन में राज्य के सकल/निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार किये जाते है ।

1.5 संचालनालय की सांख्यिकी गतिविधियों का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय नीतियों के परिपेक्ष्य में राज्य के सांख्यिकी तंत्र का सुदृढ.ीकरण कर प्रशासन, योजनाविद् तथा शोधकर्ताओं को उपयोगी सांख्यिकी उपलब्ध कराना है ।

2 प्रमुख गतिविधियाँ :–

2.1 राज्य की अर्थव्यवस्था संबंधी प्रकाशन

राज्य की सामाजिक स्थिति तथा उसे प्रभावित करने वाले प्रमुख घटकों एवं नीतियों का वार्षिक विश्लेषणात्मक अध्ययन छत्तीसगढ. का आर्थिक सर्वेक्षण के रूप में प्रकाशित किया जाता है । प्रकाशन के अंतर्गत प्रमुख रूप से राज्यीय आय, कृषि उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य विकास, वानिकी, जलसंसाधन, उर्जा, उद्योग, खनिज, परिवहन, श्रम एवं रोजगार, सहकारिता एवं बैंकिंग तथा सामाजिक क्षेत्र से संबंधित विभागों की विकासात्मक गतिविधियों के संबंध में अद्यतन जानकारी उपलब्ध करायी जाती है । पूर्व विधानसभा के बजट सत्र में यह प्रकाशन माननीय विधायकों को उपलब्ध कराया गया ।

2.2 राज्य घरेलू उत्पाद :–

राज्य की अर्थ व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों का आकलन करने के लिए भारत शासन के केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के मार्गदर्शन में प्रतिवर्ष राज्य के सकल/निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान (प्रचलित एवं स्थिर भावों पर) तैयार किये जाते है । इन अनुमानों को भी प्रतिवर्ष विधान सभा के बजट सत्र में प्रस्तुत किया जाता है

2.3 बजट विश्लेषणः–

राज्य के वार्षिक बजट का आर्थिक उद्देश्यवार वर्गीकरण भी संचालनालय द्वारा किया जाता है जो राज्य की प्राथमिकताओं का सूचक है । संचालनालय द्वारा वर्ष

2010–11 की अवधि में राज्य बजट का आर्थिक उद्देश्वार वर्गीकरण 2007–08(लेखा), 2008–09 (पु.अ.) एवं 2009–10 (आ.अ.) नामक प्रकाशन तैयार किया गया ।

2.4 सर्वेक्षण कार्य :–

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के निर्देशानुसार वर्ष 2010–11 रा.न्या.स. के 67वें दौर में अनिगमित गैर कृषि उद्यम (निर्माण को छोड़कर) विषय पर निर्धारित प्रपत्रों पर क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्य संचालनालय के निर्देशन में जुलाई, 2010 से प्रारंभ कर जून, 2011 तक पूर्ण किया जावेगा । 67 वें दौर में 200 ग्रामीण तथा 128 नगर खण्डों में सर्वेक्षण कार्य आवंटित किया गया है । माह दिसम्बर, 2010 तक 87 ग्रामीण तथा 57 नगरीय न्यादर्शों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर शेष न्यादर्शों का सर्वेक्षण कार्य जून, 2011 तक पूर्ण कर लिया जावेगा ।

वर्ष 2008–09 में पिछले 57 वें से 59 वें एवं 61 वें से 63 वें दौर के सर्वेक्षित न्यादर्शों के डाटा एन्ट्री, वेरीफिकेशन एवं वेलिडेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, तथा वर्ष 2009–10 की अवधि में 64 वें दौर के 240 न्यादर्शो की एवं वर्ष 2010–11 तक 65वें दौर के 180 न्यादर्शो की डाटा एन्ट्री एवं वेरीफिकेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है । वर्तमान में 62 वें दौर के न्यादर्शों के एरर सुधार कार्य का प्रथम चरण पूर्ण कर लिया गया है । द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर है ।

2.5 जन्म–मृत्यु पंजीयन कार्य :–

भारत सरकार के जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 का कार्यान्वयन राज्य में छत्तीसगढ़ जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001 बनाया गया है। स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव/कर्मी को उप रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) अधिसूचित किया गया है । ग्रामीण क्षेत्र में जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के लिए यह व्यवस्था 01 जनवरी, 2008 से प्रांरभ किया गया है । इससे पूर्व ग्रामीण क्षेत्र में यह कार्य प्रभारी पुलिस थाना द्वारा किया जाता था । इस व्यवस्था के फलस्वरूप जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण का कार्य में पर्याप्त सुधार होने की संभावना है । राज्य के नगरीय क्षेत्र में जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण का कार्य पूर्ववत स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा किया जा रहा है।

जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की व्यवस्था हेतु राज्य शासन द्वारा की गई प्रशासनिक व्यवस्था के फलस्वरूप संचालक आर्थिक एवं सांख्यिकी, छत्तीसगढ को मृख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु), आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के उप–संचालक, जीवनांक को उपरजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) अधिसूचित किया गया है । जिला स्तर पर जन्म–मृत्यु पंजीयन कार्य को

सूचारू रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित् करने के दृष्टि से जिला कलेक्टर को अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी को जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) अधिसूचित किये गये है ।

2.6 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक :–

औद्योगिक कामगारों के लिए खाद्य एवं सामान्य समूह से संबद्ध मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधित मूल्य संकलन का कार्य विभागीय तकनीकी अधिकारियों द्वारा किया जाकर पत्रक मूलतः लेवर ब्यूरो शिमला संप्रेषित किये जाते है । लेवर व्यूरो शिमला द्वारा भिलाई केन्द्र के लिये मासिक एवं वार्षिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार कर जारी किये जाते है ।

2.7 वार्षिक कार्यकलाप :–

(अ) वर्ष 2009–2010 में प्रकाशित प्रकाशन

(1) छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण –2009–10

(2) छत्तीसगढ़ आय व्ययक संक्षेप –2009–10

(3) छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि विपणन– 2008–09

(4) छत्तीसगढ़ के राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 1999–2000 से 2008–09

(5) अलाभकारी संस्था से संबंधित सर्वेक्षण रिपोर्ट (प्रथम चरण) 2010

(6) Fifth Economic Census -2005

(7) Economic and Purpose Classification of State Government Budget of Chhattisgarh 2007-08(A/C), 2008-09 (R.E.) & 2009-10 (B.E.)

(8) Gross Fixed Capital Formation by State Govt. Administrative of Chhattisgarh 2000-01 To 2007-08 & Central Government Administrative Department & Supra-regional Sectors 2000 - 01 to 2005-06

(9) Gross Fixed Capital Formation By State Govt. Departmental Commercial Undertakings and Non - Departmental Commercial Undertakings of Chhattisgarh 2001-02 to 2007-08

(10) Gender Statistics Chhattisgarh

¼c½ भारत सरकार केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय लेखा प्रभाग नई दिल्ली के निर्देशानुसार अलाभकारी पंजीकृत संस्थाओं (लगभग 40, हजार) के सर्वेक्षण हेतु पंजीयक कार्यालयों से आवश्यक अभिलेखों का प्रथम चरण कम्प्यूटराईजेशन कार्य पूर्ण कर सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है तथा द्वितीय चरण का सर्वेक्षण कार्य हेतु केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय लेखा प्रभाग नई दिल्ली के अधिकारियों द्वारा जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है ।

(स) बीस सूत्रीय कार्यक्रम का मासिक प्रबोधन पत्रक माह अक्टूबर, 2010 केन्द्र शासन को प्रस्तुत किया गया है ।

(द) कार्यकुशलता विकास हेतु संचालनालय के अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभिन्न तकनीकी प्रशिक्षणों पर भेजा जाता है । वर्ष 2010–11 की अवधि में निम्न विषयों पर उनके समक्ष उल्लेखित अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षण पर भेजा गया है ।

क्र.	प्रशिक्षण विषय	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षित अधिकारी/ कर्मचारियों की संख्या
1.	न्यायलयीन प्रक्रिया	18–22 जनवरी ,2010	03
2.	केन्द्र/राज्य सांख्यिकी संगठन के 17वें सम्मेलन	08–09 फरवरी, 2010	02
3.	राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी और प्राकृतिक संसाधन लेखांकन	08–19 फरवरी, 2010	01
4.	Motivation & Productivity in Govt	15–17 फरवरी, 2010	02
5.	आफिस प्रोसीजर एंड सर्विस रूल्स	15–19 फरवरी, 2010	01
6.	Financial and Contingency Expenditure Rules	22–24 फरवरी, 2010	02
7.	प्रतिदर्श सर्वेक्षण एवं बड़े पैमाने पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण का आयोजन पर	08–19 मार्च, 2010	02
8.	Financial and Contingency Expenditure Rules	25–27 मार्च, 2010	02
9.	राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के 67वें दौर	06–07 अपैल, 2010	03

	का अखिल भारतीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण सह कार्यशाला		
10.	केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, नई दिल्ली द्वारा आयोजित कार्यशाला	26–30 अप्रैल, 2010	04
11.	भारतीय सांख्यिकी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण योजना (ISSP) पूर्वी क्षेत्रीय राज्यों का कार्यशाला	24–25 मई, 2010	03
12.	वित्तीय एवं आकमिक व्यय	07–11 जून, 2010	01
13.	आर्थिक गणना, आपदा सांख्यिकी एवं बी. एस. एल.एल. डी.	22–23 जुलाई, 2010	03
14.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान पर संयुक्त चर्चा	23–27 अगस्त, 2010	06
15.	राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के के 63वें दौर के टेबुलेशन कार्य प्रशिक्षण	13–14 सितम्बर, 2010	02
16.	मूलभूत सांख्यिकी प्रशिक्षण	27 सितंबर, 2010 से 01 अक्टूबर,2010	02
17.	”जनसंख्या सॉख्यिकी सहित सामाजिक सांख्यिकी’’	08 –12 नवम्बर, 2010	01
18.	जेंडर बजट पर राज्य स्तरीय	29 नवम्बर, 2010 से 01 दिसम्बर, 2010	02

भाग–2

बजट विहंगावलोकन :–

संचालनालय को आलोच्य वर्ष 2010–11 में राज्यीय सांख्यिकी गतिविधियॉ के संचालन हेतु गैर योजनान्तर्गत निम्नवत आवंटन प्राप्त हुआ है ।

(लाख ` में)

बजट मद विवरण	वर्ष 2010–11 वास्तविक व्यय (सित. 2010)	वर्ष 2010–11 पुनरीक्षित प्रस्ताव	वर्ष 2011–12 के लिए बजट प्रस्ताव
1 आयोजनेत्तर	**2**	**3**	**4**
1. राज्य सांख्यिकी संस्थान	348	969.17	1066.09
2. जन्म–मृत्यु आंकड़ों का संकलन	37	116.75	128.43
3. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण	37	98.20	108.02
योग	422	1184.12	1302.54

भाग–3

संचालनालय द्वारा वर्तमान में निम्नबत राज्य/केन्द्र प्रवर्तित/केन्द्र क्षेत्रीय एवं विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएॅ संचालित की जा रही है ।

योजना विवरण	वर्ष 2010–11 वास्तविक व्यय (सित. 2010)	वर्ष 2010–11 पुनरीक्षित प्रस्ताव	वर्ष 2011–12 के लिए बजट प्रस्ताव
1	**2**	**3**	**4**
राज्य–आयोजना			
6562 जन्म–मृत्यु अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन	0.00	1.60	1.75
6564 सांख्यिकी कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण	0.17	2.20	2.42
6293 सांख्यिकी अमले का प्रशिक्षण	0.59	1.70	1.87

केन्द्र प्रवर्तित योजना			
5501 जन्म–मृत्यु सांख्यिकी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	0.88	26.72	26.72
केन्द्र क्षेत्रीय योजना			
5537 मृत्यु सांख्यिकी का विश्लेषण	0.00	2.28	2.50
विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना			
6725 यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान	2.53	100.30	100.30
योग	4.17	134.80	135.56

भाग–4
सामान्य प्रशासनिक विषय –निरंक

भाग–5
अभिनव योजनाएँ –निरंक

भाग–6

प्रकाशन

आलोच्य अवधि में प्रकाशित प्रकाशनों का परिचयात्मक विवरण निम्नानुसार है :–

1. आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष– 2009–10

प्रस्तुत वार्षिक प्रकाशन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, ग्रामीण विकास, विशेष क्षेत्र विकास, जल संसाधन, परिवहन संसाधन, पर्यावरण, प्रौद्यौगिकी विकास के साथ ही सामाजिक विषयों से संबद्ध क्षेत्रों में अभिज्ञापित उपलब्धियों का उल्लेख राज्य के संदर्भ में किया गया है । यह प्रकाशन गत विधान सभा के बजट सत्र (फरवरी 2010) में माननीय विधायकों को वितरित किया गया है ।

2. आय व्ययक संक्षेप– 2010–11

प्रकाशित प्रकाशन में राज्य शासन द्वारा आलोच्य अवधि के लिये प्रस्तावित आयोजना एवं गैर आयोजनेत्तर व्यय तथा उसके सापेक्ष में अनुमानित आय का विवरण तैयार कर वित्त विभाग को प्रस्तुत किया गया, जिनके द्वारा यह प्रकाशन वार्षिक बजट के साथ विधानसभा में वितरित किया गया ।

3. राज्य सामाजार्थिक रूप रेखा – 2009

उक्त प्रकाशन में प्रशासनिक, कृषि, ग्रामीण विकास, जल, परिवहन, पर्यावरण एवं सामाजिक अवयवों से संबंधित सूक्ष्म समंक एवं संकेतक राज्य के संदर्भ में तथा जनगणना 2001 के आधार पर ऑकडे प्रस्तुत किये जाते है, जिससे राज्य की विकास अवधारणा का प्रबोधन संक्षेपतः किया जा सके । प्रस्तुत प्रकाशन प्रगति पर है ।

4. राज्य में कृषि विपणन– 2008–09

राज्य की मण्डियों एवं उप मण्डियों में कृषि उत्पादों की आवक एवं उसकी विपणन से संबद्ध वार्षिक जानकारी इस प्रकाशन में प्रकाशित की गई, जो राज्य की कृषि विपणन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण का द्योतक है । प्रकाशन मार्च, 2009 में प्रकाशित किया गया है ।

5. राज्य बजट का आर्थिक उद्देश्वार वर्गीकरण–वर्ष 2007–08(लेखा), 2008–09 (पु.अ.) एवं 2009–10(आ.अ.)– प्रस्तुत प्रकाशन में उद्देश्य के अनुसार किये गये वित्तीय प्रावधान एवं उसके सापेक्ष्य में परिव्यय का उल्लेख किया जाता है ।

भाग–7

सारांश– निरंक

परिशिष्ट –एक

मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के स्वीकृत एवं भरे पदों की जानकारी

(10–01–2011 की स्थिति में)

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद			भरे हुए पद		
		मुख्यालय	जिला	योग	मुख्यालय	जिला	योग
	प्रथम श्रेणी						
1	आयुक्त सह संचालक	1	0	1	1	0	1
2	संयुक्त संचालक	3	0	3	3	0	3
3	उपसंचालक द्वितीय श्रेणी	3	4	7	2	4	6
4	सहायक संचालक/जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी	13	18	31	07	14	21

	तृतीय श्रेणी						
5	सहायक संख्यिकी अधिकारी	36	104	140	28	84	112
6	सहायक प्रोग्रामर	1	0	1	0	0	0
7	अन्वेषक/ खण्ड स्तर अन्वेषक	14	165	179	12	118	130
8	संगणक/कम्प्यूटर/ डाटा एण्ट्री आपरेटर	6	18	24	01	09	10
9	अधीक्षक	01	0	01	01	0	01
10	आशुलिपिक ग्रेड–2	01	0	01	0	0	0
11	आशुलिपिक ग्रेड–3	01	0	01	0	0	0
12	स्टेनोटायपिस्ट	04	18	22	01	0	01
13	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	01	0	01	0	0	0
14	के.पी.ओ.	02	0	02	0	0	0
15	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	01	0	01	0	0	0
16	सहायक ग्रेड–1	04	07	11	02	02	04
17	सहायक ग्रेड–2	05	18	23	06	09	15
18	सहायक ग्रेड–3	20	25	45	05	18	23
19	वाहन चालक	01	7	8	01	5	06
20	वाहन चालक (आक.स्थापना) चतुर्थ श्रेणी	03	11	14	03	0	03
21	जमादार	1	0	01	01	0	01
22	भृत्य	15	34	49	12	30	42
23	चौकीदार	02	0	2	01	0	01
24	वाटरमेन/फर्राश/(कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर)	05	18	23	05	09	14
	योग	144	447	591	92	302	394

संचालनालय के संभाग एवं निष्पादित कार्यविवरण

1. प्रशासन	1. प्रशासन, स्थापना, लेखा एवं लेखा परीक्षण
2. राष्ट्रीय आय, लोक वित्त एवं बजट विश्लेषण	1. राज्य/जिला स्तरीय घरेलू उत्पाद के अनुमान 2. राज्य एवं स्थानीय संस्थाओं के आय व्ययक का आर्थिक उद्देश्यवार वर्गीकरण 3. लोक वित्त तथा स्थानीय संस्थाओं की सांख्यिकी का संकलन एवं संधारण
3. औद्योगिक, खनिज एवं पूंजी निर्माण	1. औद्योगिक, खनिज एवं उर्जा सांख्यिकी 2. पूंजी निर्माण के अनुमान 3. सार्वजनिक क्षेत्रों का लेखा विश्लेषण 4. कृषि, वित्तीय एवं व्यापारिक सांख्यिकी– अनुसंधान विश्लेषण
4. मूल्य सांख्यिकी एवं बाजार समाचार	1. थोक/फूटकर मूल्यों का संकलन/समीक्षा 2. गृह एवं भवन निर्माण सांख्यिकी 3. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, समाज कल्याण, औद्योगिक सामाजिक सुरक्षा सांख्यिकी 4. शिक्षा, पर्यावरण, मनोरंजन, जेल, न्याय, पुलिस, अपराध, श्रम, रोजगार सांख्यिकी
5. जिला सांख्यिकी तंत्र	1. जिलों का तकनीकी मार्गदर्शन एवं निरीक्षण 2. जिले की प्रकाशनों की परिनिरीक्षण एवं दिशा–निर्देश 3. तकनीकी कार्यों की अर्धवार्षिक/वार्षिक समीक्षा
6. सामाजार्थिक विश्लेषण एवं कर्मचारी गणना	1. प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन 2. आर्थिक सर्वेक्षण 3. सामाजार्थिक विकास सूचकांक 4. आर्थिक प्रज्ञान – प्रदर्शन 5. डाटा बैंक
7. सांख्यिकी समन्वय एवं प्रशिक्षण	1. राज्य के समस्त विभागों की सांख्यिकी गतिविधियों की समीक्षा, मार्गदर्शन 2. विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण
8. प्रकाशन एवं	1. राज्य स्तरीय प्रकाशनों का प्रकाशन

पुस्तकालय	2. पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का क्रय, विक्रय एवं संधारण
9. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण	1. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्य का सर्वेक्षण, सारणीयन एवं प्रतिवेदन 2. सामाजार्थिक सर्वेक्षण – मूल्यांकन अध्ययन 3. आर्थिक गणना
10. जीवनांक सांख्यिकी	1. जन्म–मृत्यु पंजीयन प्रणाली का संचालन, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण 2. प्रभावी क्रियान्वयन की कार्यवाही 3. वार्षिक जीवनांक प्रतिवेदन 4. वार्षिक कार्यकरण प्रतिवेदन 5. मृत्यु के कारणों का चिकित्सा आधार पर वर्गीकरण–प्रतिवेदन
11. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	1. मासिक समीक्षा 2. राज्य समीक्षा बैठक आयोजित करना एवं निर्देश प्रसारित करना
12. बीस सूत्रीय कार्यक्रम	1. संबंधित विभागों से प्रगति का मासिक संकलन, संधारण एवं संप्रेषण 2. केन्द्र द्वारा की गई समीक्षा की अनुवर्तन कार्यवाही

20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

भाग–1

विभागीय संरचना तथा सामान्य जानकारी :–

समाज के कमजोर वर्ग के निवासियों की आर्थिक सहायता करने, सम्मान पूर्वक जीवनयापन के अवसर सुलभ कराने, तथा समाज में व्याप्त आर्थिक विषमताओं को दूर करने के उद्देश्य से बीस सूत्रीय कार्यक्रम के प्रबोधन का कार्यक्रम केन्द्र शासन द्वारा अभिज्ञापित परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है । योजनाओं की प्रगति वर्तमान में विभागाध्यक्ष कार्यालयों से प्राप्त कर केन्द्र शासन को संप्रेषित् की जाती है ।

विभागीय संरचना :–

केन्द्र शासन का बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग योजना की मासिक समीक्षा कर प्रतिवेदन निर्गम करता है । छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यक्रम के अंतर्गत अभिज्ञापित प्रगति की समीक्षा का दायित्व राज्य स्तर पर वित्त एवं योजना विभाग द्वारा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय को हस्तांतरित किया गया है । राज्य स्तर पर इस हेतु पदों की संरचना स्वीकृत नहीं है ।

अधीनस्थ कार्यालय :–

कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रत्येक जिला/विकास खण्ड स्तर पर क्रमशः सहायक ग्रेड–2 व सहायक ग्रेड–03 का एक–एक पद स्वीकृत किया गया था जो आज भी जीवित है ।

विभागीय दायित्व

1. कार्यक्रम की प्रगति का संकलन, अनुश्रवण एवं समीक्षा
2. राज्य/जिला/विकास खण्ड स्तरीय एवं शहरी बीस सूत्रीय समितियों का गठन
3. केन्द्र शासन के बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रसारित निर्देशों पर अनुवर्तन कार्यवाही
4. सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना का अनुश्रवण एवं समीक्षा
5. विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही

प्रभावी अधिनियम एवं नियम

1. छत्तीसगढ़ (लोक अभिकरणों के माध्यम से) बीस सूत्रीय कार्यक्रम अधिनियम, 980
2. छत्तीसगढ़ (लोक अभिकरणों के माध्यम से) बीस सूत्रीय कार्यक्रम अधिनियम, 1997

3. छत्तीसगढ़ (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम का क्रियान्वयन नियम, 1991

4. छत्तीसगढ़ (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम का क्रियान्वयन नियम, 1997

विभाग का सामान्य दायित्व

कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिवेदित प्रगति/उपलब्धियों का समसामयिक मूल्यांकन अनुश्रवण एवं समितियों के सुझावों पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना विभाग का सामान्य दायित्व है ।

कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ

1. प्रबोधन एवं अनुश्रवण

इस कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र शासन से प्राप्त दिशा–निर्देशों के सापेक्ष्य में कार्यवाही करते हुए कार्यक्रम प्रगति/उपलब्धियों का राज्य प्रतिवेदन केन्द्र शासन को आगामी माह की पॉच तारीख तक संप्रेषित किया जा रहा है । कतिपय विषयों पर न्यूनतम उपलब्धियों पर विभागीय टीप प्राप्त कर शासन को अवगत कराया जाता है । कार्यक्रम के अंतर्गत आवश्यक मार्गदर्शन एवं दिशा–निर्देश दिया जाता है ।

2. पंचायती राज संस्थाओं को प्रत्यायोजित दायित्व

इस कार्यक्रम के अंतर्गत विषयगत प्रगति व उपलब्धियों की समीक्षा का दायित्व क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं – (राज्य, जिला व विकासखण्ड) को प्रत्यायोजित किया गया है । कार्यक्रम की देख–रेख का दायित्व भी इन संस्थाओं को सौपा गया है ।

भाग–2

कार्यक्रम के अंतर्गत बजट प्रावधान एवं व्यय

कार्यक्रम अंतर्गत जिला/ विकास खण्ड स्तर स्वीकृत पदों पर होने वाले व्यय को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा वर्ष 2010–11 में 160.55 लाख ` का आबंटन उपलब्ध कराया गया है जिसके सापेक्ष्य में नवंबर, 2010 तक लगभग 70 प्रतिशत व्यय हुआ है ।

भाग–3

निरंक

भाग–4

निरंक

भाग–5

अभिनव योजनाएँ :–

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत समीक्षा की विषयगत सूची :–

1. बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र/राज्य शासन द्वारा संचालित 20 कार्यकलापों को समाहित किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

1. रोजगर सृजन– महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ।

2. (क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, (एसजीएसवाई) ।

2. (ख) एसजीएयवाई के अंतर्गत अ.जा.,अ.जा. महिलाओं एवं विकलांग स्वरोजगारियों को सहायता ।

3. (क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत गठित स्व सहायता ग्रुप।

3. (ख) स्व सहायता ग्रुप जिन्हों आय का सृजन करने वाली गतिविधियां प्रदान की गई हैं ।

4. (क) भूमिहीनों को बंजर भूमि का वितरण,

4. (ख) अ.जा.,अ.ज.जा एवं अन्य वितरित की गई बंजर भूमि

5. (क) न्यनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म लेबर सहित) (i) किया गया निरीक्षण (ii) पाई गई अनियमितताएं (iii)सुधारी गई अनियमितताएं

5. (ख) न्यनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म लेबर सहित) (i) किए गए दावे (ii) निपटाए गए दावे

5. (ग) न्यनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म लेबर सहित) (i) लंबित अभियोजन केस (ii) दायर किए गए अभियोजन केस (iii) निर्णीत अभियोजन केस

6. (क) खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) एएवाई, एपीएल और बीपीएल के लिए

6. (ख) खाद्य सुरक्षाः टीपीडीएस केवल अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई)

6. (ग) खाद्य सुरक्षाः टीपीडीएस केवल गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल)

6. (घ) खाद्य सुरक्षाः टीपीडीएस केवल गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)

7. ग्रामीण आवास –इंदिरा आवास योजना

8. शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवास,

9. (क) ग्रामीण क्षेत्र– एआरडब्ल्यूएसपी शामिल बसावटें (एनसी/पीसी)

9. (ख) छूटी हुई बसावटों तथा जल गुणवत्ता की समस्याओं वाली बसावटों में कार्यों की शुरूआत

10. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम,

11. संस्थानिक प्रसव,

12. सहायताप्राप्त अनुसूचित जाति परिवार

13. आईसीडीएस योजना का वैश्वीकरण (संचयी)

14. क्रियाशील आंगनवाड़िया (संचयी)

15. सात सूत्री चार्टर के अंतर्गत सहायताप्राप्त शहरी निर्धन परिवारों की संख्या

16 (क) वनरोपण– रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि)

16. (ख) वनरोपण – रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि)

17. ग्रामीण सड़कें – पीएमजीएसवाई के अधीन निर्मित सड़के

18. राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अतंर्गत गांव को बिजली प्रदान की गई ।

19. पम्पसेटों को बिजली

20. विद्युत आपूर्ति

वार्षिक लक्ष्य 2010–11

केन्द्र शासन द्वारा राज्य के लिये निर्धारित लक्ष्य बिन्दूवार निम्नानुसार है :–

योजना/कार्यक्रम विवरण	भौतिक इकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य
1	2	3
1. स्वरोजगार सहायता	हितग्राही संख्या	9,144
2. स्व सहायता समूहों का गठन	समूह संख्या	5,267
3. ग्रामीण आवास निर्माण	आवास संख्या	39,759
4. नगरीय आवास निर्माण	आवास संख्या	10,000
5. पेयजल सुविधा से वंचित बसाहटों के लिए पेयजल	वसाहट संख्या	9,948
6. एकीकृत बाल विकास परियोजना	परियोजनाओं की संख्या	220
7. ऑगनबाड़ी संचालन	ऑगनबाड़ी संख्या	64,390
8. अनुसूचित जाति परिवार सहायता	हितग्राही संख्या	3,75,000
9. शहरी गरीब परिवारों को सहायता	हितग्राही संख्या	25,000
10. वृक्षारोपण–क्षेत्र अच्छादित	हेक्टर	60,500

11. वृक्षारोपण–वृक्ष	वृक्ष संख्या	385,00,000
12. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क	सड़क किलोमीटर	1820
13. राजीव गांधी विद्युतीकरण	ग्राम संख्या	41
14. पम्प विद्युतीकरण	पम्प संख्या	30,000

भाग–6

प्रकाशन :–

राज्य शासन द्वारा समेकित प्रतिवेदन के आधार पर समसामयिक समीक्षा की जाती है तद–नुरूप केन्द्र शासन द्वारा भी राज्य के परिपेक्ष्य में समीक्षा प्रतिवेदन राज्य शासन को प्रेषित् किया जाता है ।

राज्य शासन अथवा संचालनालय द्वारा बीस सूत्रीय कार्यक्रम संबंधी कोई भी प्रकाशन जारी नहीं किया जाता है ।

भाग–7

सारांश –निरंक

****